रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2012/आश्विन 2, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 148
No. 161] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2012/ASVINA 2, 1934 [N.C.T.D. No. 148

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

सं. एफ. आईपीयू/जेआर(सी)/साधा. 14/संशो./2012/529.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में गुरूगोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का प्रबन्धमंडल, अधिसूचना संख्या सं0 एफ 2 (36)/साधा0/पीयू/एडीआरपी/2009/1784, दिनांक 10–01–2011 के द्वारा अधिसूचित संविदा आधार अथवा समानक आधार पर नियुक्तियों से संबंधित अध्यादेश–14 के खंड (IV) में एतद्वारा निम्न आंशिक संशोधन करता है ।

विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
संविदा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को समेकित वेतन दिया जाएगा जिसका निर्धारण नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति की हैसियत, इस नियुक्ति से पूर्व प्राप्त परिलब्धियों आदि के अनुसार किया जाएगा परन्तु राशि प्रति दो वर्ष के बाद संशोधित की जाएगी । साथ ही यह राशि उनकी नियुक्ति पद के वेतनमान के उच्चतम स्तर की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी । सेवा निवृत अधिकारी होने की स्थिति में यह राशि उनकी सेवानिवृति से पूर्व प्राप्त अंतिम परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी ।	संविदा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को समेकित वेतन दिया जाएगा जिसका निर्धारण नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति की हैसियत, इस नियुक्ति से पूर्व प्राप्त परिलब्धियां, जहाँ लागू हों, आदि के अनुसार किया जाएगा । साथ ही यह भी शर्त है कि राशि में संशोधन केवल एक वर्ष के बाद संविदा के नवीनीकरण के मामले में ही होगा । साथ ही, यह राशि उनकी नियुक्ति पद के वेतनमान के उच्चतम स्तर की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी । तथा, सेवानिवृत अधिकारी होने की स्थिति में यह राशि उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त अंतिम परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी ।

यह संशोधित अध्यादेश–14, प्रबंधमंडल द्वारा किये गये अनुमोदन की तिथि अर्थात् 22–03–2012 से प्रभावी हो जाएगा ।

3649 DG/2012

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATIONS

Delhi, the 24th September, 2012

No. F. IPU/JR(C)/Ord. 14/Amend./2012/529.—In pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University, hereby makes following partial Amendment in Clause (iv) of Ordinance 14 relating to appointment on contract basis or equivalent notified vide Notification No. No.F2(36)/Ord/IPU/ADRP/2009/1784 Dated 10.01.2011.

Existing provision	Proposed Amendment
The person appointed on contract shall be paid a consolidated salary which shall be fixed appropriately taking into consideration the status of the person so appointed, the emoluments drawn by him before this appointment, etc. provided further the amount could be revised every two years. Further, amount will not be exceed the emoluments at the maximum of the scale of the post against which appointed. Also in case of a retired officer it will not be more than the emoluments last drawn before retirement.	The person appointed on contract shall be paid a consolidated salary which shall be fixed appropriately taking into consideration the status of the person so appointed, the emoluments drawn by him before this appointment, wherever applicable, etc., provided further the amount could be revised in case of renewal of contract after one year only. Further, the amount will not exceed the emoluments at the maximum of the scale of the post against which appointed. Also in case of a retired officer it will not be more than the emoluments last drawn before retirement.

The amended Ordinance 14 shall come into force w.e.f. the date of approval of the Board of Management, i.e., 22.03.2012.

सं. एफ. आईपीवी/जेआर(सी)/साधा. 35/बीओएम-48/2012/530.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 29–11–2011 को हुई अपनी 48वीं बैठक में मद संख्या 48•11 के अनुसार धारा 5 के अनुरूप विश्वविद्यालय की शक्तियों को ध्यान में रखते हुये निम्न नये अध्यादेश –35 विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना से संबंधित के सर्जन को स्वीकृति दे दी है ।

उत्कृष्टता केन्द्र उन विषय क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे, जहाँ या तो ये अनुकरणीय अकादमिक निष्पत्ति उपलब्ध करा सकें और/अथवा अन्तर विषयक अकादमिक–शोध पर आधारित विशेषणीय एवं श्रेष्ठ अग्रवर्ती अनुदेशों, जो विद्या की प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुये हों एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय योजना एवं अभिकल्प, जीन समूह (जैनोम) अध्ययन, मानवीय मूल्य एवं नैतिकता, सूक्ष्माति विज्ञान (नैनो साइंस) एवं प्रौद्योगिकी, भेषजीय अध्ययन आदि जैसे कौशल के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें । अन्य केन्द्रों की स्थापना विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार की जा सकेगी ।

1 परिभाषाएँ:–

(क) 'उत्कृष्टता केन्द्रों' में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/अकादमिक क्षेत्रों की शाखाओं/अन्तर्शाखाओं में विश्वविद्यालय–विद्यालयों के सदृश पृथक अकादमिक–एवं शोध विशिष्टता (सारूप्यता) होगी जहाँ पर विश्वविद्यालय उच्चस्तरीय एवं महत्वपूर्ण अनुदेश प्रदान कर सकेंगे तथा अपने सम्बन्धित अथवा अन्तर्ग्रन्थित अकादमिक व शोध विषयों में सीमान्तक शोध कर सकेंगे ।

(ख) निदेशक', आचार्य (प्रोफेसर) पद/वेतनमान की श्रेणी में होंगे और वे उत्कृष्टता केन्द्र–अध्यक्ष होंगे ।

(ग) प्रत्येक केन्द्र के 'संकाय ' में विश्वविद्यालय अध्ययन विद्यालयों की ही भाँति आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य सम्मिलित होंगे । केन्द्रों हेतु संकाय या तो भर्ती आधारित होंगे अथवा विश्वविद्यालय अध्ययन विद्यालयों से सृजित किये जायेंगे । विश्वविद्यालय अध्ययन विद्यालयों से लिये गये संकाय सदस्यों की दोहरी सदस्यता होगी अर्थात् एक तो सदस्यता उस विद्यालय की जिससे कि वे सबंधित हैं एवं दूसरी सदस्यता होगी संबंधित केन्द्र के साथ ।

(घ) उत्कृष्टता केन्द्र के "अनुबद्ध संकाय" से तात्पर्य उस संकाय से होगा जो प्रसिद्ध नैगम, प्रशासकों एवं प्रमुख राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में से नियुक्त किए जाऐंगे/ तथापि, उनकी पदसंज्ञा "अनुबद्ध आचार्य", "अनुबद्ध सहआचार्य", एवं अनुबद्ध सहायक आचार्य होगी लेकिन उनके वेतनमान और भत्ते विश्वविद्यालय अध्ययन विद्यालयों के आचार्यों, सह आचार्यों एवं सहायक आचार्यों के ही जैसे होंगे ।

(ङ•) I उत्कृष्टता केन्द्र की 'विषय संचालन समिति' ठीक उसी अभिप्राय की ओर संकेत करती है जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश–2 की धारा –2 की उपधारा–क में परिभाषित अनुसार अध्ययन विद्यालय मंडल से संबंधित है, तथापि इसका संघटन निम्नानुसार होगा :

(i) उत्कृष्टता केन्द्र के निदेशक ;

(ii) आचार्य/अनुबद्ध आचार्य, उत्कृष्टता केन्द्र में, 03 सह–आचार्य/ अनुबद्ध सहआचार्य वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्तन में ? 02 सहायक आचार्य/अनुबद्ध सहायक आचार्य क्रमशः केन्द्र में नियुक्त सहायक आचार्यों में से वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्तन में; एवं,

(iii) केन्द्र के लिए निर्धारित किसी विषय में अथवा अध्ययन की किसी अंतर्शिक्षण शाखा/सहायक शाखा में उनके विशिष्ट ज्ञान के लिए कुलपति द्वारा नामित पाँच प्रतिष्ठित सदस्य ।

II पदेन् सदस्यों के अतिरिक्त, विषय संचालन समिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा । यह समय अवधि उनकी नामित तिथि से प्रारम्भ होगी । सदस्यों के पुनर्मनोनयन पर विचार किया जा सकेगा ।

(च) केन्द्र की "केन्द्र शोध एवं परामर्श समिति" का विस्तृत रूप से वही अभिप्राय होगा जो कि अध्यादेश–12 की धारा–1 की उपधारा–xvii में परिभाषितानुसार विद्यालय शोध केन्द्र (एसआरसी) से है । साथ ही इससे यह भी अपेक्षा है कि यह अतिरिक्त रूप से परामर्शी संबंधित मामलों को भी देखेगी । तद्नुसार इसमें संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के निदेशक, तीन आचार्य/अनुबद्ध आचार्य वरिष्ठता क्रम से क्रमावर्तनानुसार (एक वर्ष के लिए) संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र से, वरिष्ठता अनुसार क्रमावर्तनानुसार, एक सहआचार्य/अनुबद्ध सहआचार्य एवं एक सहायक आचार्य/अनुबद्ध सहायक आचार्य तथा प्रस्तावित पर्यवेक्षक, अथवा अनुमोदित पर्यवेक्षक(ों) एवं संकाय को परिवर्तित परामर्शी योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, यदि लागू हो । आवश्यक निर्देश देते हुए, यदि निदेशक ऐसा चाहें तो वे इस समिति में किसी ऐसे विख्यात विद्याविद(ों) को सम्मिलित कर सकते हैं जो शोध विषय से सम्बन्धित हों, जिससे कि प्रस्तावित शोध/परामर्शी वास्तव ही में सीमान्तक और परिवर्तनकारी हो सके और राष्ट्रीय/वैश्विक स्तर पर विषय से सम्बन्धित विद्यमान साहित्य में पाये जाने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए शोधांश/संस्तुति समुच्चय बना सकें ।

(छ) किसी भी उत्कृष्टता केन्द्र की संकाय परिषद् में निदेशक, सभी आचार्य (सभी अनुबद्ध आचार्यों सहित), सभी सह आचार्य (सभी सह अनुबद्ध आचार्यों सहित) एवं सभी सहायक आचार्य (सभी अनुबद्ध सहायक आचार्यों सहित) सम्मिलित होंगे ।

2 केन्द्र के कर्त्तव्य

(क) प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र ऐसे सभी कार्य सम्पन्न करेगा जो प्रकृति से गत्यात्मक होंगे और उनका निष्पादन सीधे ही सुस्पष्ट परिणामकारी होगा जो कि अंततः मानवता के लिए लाभकारी होंगे और उन कार्यों की पहचान विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकायों, उद्योगों एवं शोध छात्रों से एकत्रित परिणामों के आधार पर होगी तथा ये परिणामी निर्गत या तो ज्ञान–सर्जन को दर्शायेंगे अथवा विद्यालयों द्वारा अपने शिक्षण कार्यक्रमों को सबल/सम्पन्न बनाने के लिए तथा उद्योगों द्वारा अपनी तकनीकि और प्रबन्धन सक्षमताओं की वृद्धि के लिए किये जायेंगे ।

(ख) प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र, विषय/शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी विशिष्ट शोधकार्य करेगा अथवा उसे सम्मुनत करेगा जिससे कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध विषयों से संबंधित साहित्य में विद्यमान अंतरालों को भरा जाएगा यह शोधकार्य या तो उत्कृष्टता केन्द्र संकाय अथवा इसके छात्रों द्वारा, निगमित निकाय, तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक एवं शोध संगठनों के सहयोग से सम्पन्न किया जाएगा । तथापि, प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र बाह्य अधिकरणों द्वारा निधिप्रदत्त शोधकार्यों को स्वीकार करने के मामले में लचीलापन अपनाएंगे । किए गए शोध के परिणामों पर आधारित केन्द्र, केन्द्रीभूत शैक्षणिक कार्यक्रमों को भी विकसित एवं प्रारम्भ कर सकते हैं जो कि अंतर्शिक्षण शाखा प्रकृति के होंगे जिनसे नियोजनियता को बढ़ावा मिलेगा एवं उद्योगों के परस्पर–संवाद में प्रगति होगी । वास्तव में इन कार्यक्रमों से अपेक्षा है कि ये अति परिवर्तनकारी हों तथा अगले कार्यक्षेत्र की आवश्यकतानुसार हों तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर दोनों के लिए ही परिवर्तन–प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले हों ।

(ग) नैगम/प्रशासनिक/राज्य/समुदाय/अंतत' राष्ट्र के हितार्थ केन्द्र के ताक क्षेत्रों के इलाकों में प्रत्येक केन्द्र, परामर्शिका कार्य प्रारम्भ/ सम्मुनत करेगा ।

3 संचालक समिति के कार्य:

(क) संचालन समिति की सामान्य शक्तियाँ/अधिकार एवं कार्य विस्तृत रूप से वैसे ही होंगे जैसे कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश 2 की उधारा (2) की धारा (ग) में विश्वविद्यालय विद्यालय के अध्ययन मंडलों हेतु निर्धारित किए गए हैं ।

(ख) इसके साथ ही इसके पास निम्न विनिर्दिष्ट शक्तियाँ/अधिकार एवं कार्य होंगे :–

(i) संबंधित केन्द्र के लिए आवश्यक उद्देश्य, लक्ष्य व प्रत्येक क्रमिक योजना को लागू करने के लिए कार्यों के प्रकारों के निर्धारण सहित यह प्रत्येक पाँच वर्षीय क्रमिक अवधि के लिए 'अनुकूल योजनाएँ' भी बनाएगा । इस योजना में मूलभूत शैक्षिक, शोध एवं विस्तार क्षेत्रों में नियत/चयनित/विकसित क्षेत्र सम्मिलित होंगे ।

(ii) यह, दीर्घकालावधि में सहयोग करने, अनुरक्षण करने एवं अपनी उत्कृष्टता चित्रण करने कि दृष्टि से शैक्षिक एवं शोध व विस्तार गतिविधि के नियत/विकसित क्षेत्रों में नवाचार केन्द्र के रूप में कार्य करेगा ।

(iii) यह, सचेतन–गठित "वित्तीय कौशल" के अंतर्गत कार्य करेगी जिससे की एक समय के बाद यह स्ववित्त पोषण व्यवस्था विधि के आधार पर अपनी गतिविधियाँ चलाने में समर्थ हो सके ।

4 केन्द्र शोध एवं परामर्शी समिति की शक्तियाँ/अधिकार एवं कार्य–

(क) केन्द्र शोध एवं परामर्शी समिति का प्राथमिक कार्य विश्वविद्यालय के अध्यादेश (12) में 'विद्यालय शोध समिति' हेतु दर्शाए गए उन कार्यों को करने के लिए होगा जैसा कि छात्र/अध्ययेता/शोध छात्र द्वारा किए गए शोध से संबधित होंगे ।

(ख) उन परिवर्तनकारी विषयों की पहचान के लिए यह आवश्यक 'मस्तिष्क झकोरू' सत्र प्रारम्भ करने के लिए बारम्बारता की अंतरावधि में बैठकें आयोजित करेगी जिन पर शोध एवं परामर्शता का कार्यान्वयन होता है ।

(ग) यह, संदर्श/महत्त्वपूर्ण शोध छात्रों एवं अध्ययेताओं के हितार्थ छात्रवृत्ति की आवश्यक योजनाएँ प्रतिपादित करेगी तथा उन सक्षमता क्षेत्रों की भी पहचान करेगी जिनमें परामर्शी योजनाएँ प्रारम्भ की जा सकेंगी तथा एक ओर तो आवश्यक राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें चालू किया जाएगा तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए उनको उपयोग में लाया जाएगा ।

5 संकाय परिषद् के कार्य–

(क) उत्कृष्टता केन्द्र की संकाय परिषद् के शैक्षणिक कार्य, केन्द्र के लिए नीतिगत योजनाएँ तैयार करने एवं उनके समय से क्रियान्वयन में निदेशक को सहयोग देना होगा ।

(ख) यह, केन्द्र की किसी भी संकाय द्वारा सुझाए गए किन्हीं भी मामलों अथवा केन्द्र के निदेशक द्वारा विमर्श हेतु रखे जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकेगी ।

(ग) यह विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विशिष्ट रूप से नियत किसी भी कार्य का निष्पादन करेगी ।

6 निदेशक की शक्तियाँ/अधिकार–

उत्कृष्टता केन्द्र के निदेशकों के दायित्व एवं अधिकार तथा वित्तीय प्रत्यायोजन ठीक वैसे ही होंगे जैसे कि अध्ययन के विश्वविद्यालय विद्यालय के अध्यक्ष (डीन) के होंगे ।

7 बैठकें

(क) संकाय परिषद् की कम से कम तिमाही बैठकें होंगी और किसी भी बैठक के लिए सूचना सामान्यतः बैठक के निर्धारित दिवस से कम से कम दस दिन पूर्व जारी की जाएगी ।

(ख) संचालन समिति की एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम दो बैठकें होंगी और इस समिति की बैठक के लिए सूचना सामान्यतः बैठक के लिए निर्धारित दिवस से पन्द्रह दिन पूर्व जारी की जाएगी ।

(ग) केन्द्र शोध समिति की बैठक सम्बंधित केन्द्र की आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी तथापि, वर्ष में यहां सूचना देकर कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी, यह पूर्व सूचना सामान्यतः बैठक के लए निर्धारित दिवस से कम से कम 10 दिन पूर्व जारी की जाएगी ।

टिप्पणीः–तथापि संकाय समिति, संचालन समिति एवं केन्द्र शोध समिति की आपातिक बैठकें विश्वविद्यालय के कुलपति की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत अल्पसूचना जारी करके आयोजित की जा सकती हैं ।

8 गणपूर्ति (कोरम)

संकाय समिति, संचालन समिति एवं केन्द्र शोध परामर्श समिति एंव की बैठकों हेतु गणपूर्ति उनकी कुलसंख्या का 1/3 होगी ।

9 इस अध्यादेश में नियत किसी भी अन्य बात के साथ–साथ, उठने वाले किसी भी अप्रत्यक्ष मामले हेतु जो इस अध्यादेश में संगत नहीं हैं अथवा व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में हैं, कुलपति ही कोई निर्णय लेंगे । तथापि, वे विद्यालयों के किसी अथवा सभी अध्यक्षों (डीन्स) वाली समिति से सम्मति/परामर्श ले सकते हैं ।

उत्कृष्टता केन्द्रों से संबंधित अध्यादेश–35 प्रबंध मंडल की स्वीकृति तिथि 29–11–2011 से प्रभावी होगा ।

No. F. IPV/JR(C)/Ord. 35/BOM-48/2012/530.—In pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (9 of 1998), the Board of Management of the University in its 48th meeting held on 29.11.2011 vide agenda item No.48.11 taking into consideration the Powers of the University as per section 5, has approved for creation of the following New Ordinance – 35 relating to establishment of 'Centres of Excellence' in the university.

The centres of Excellence will come up in those areas of disciplines where it can either provide exemplary academic performance and / or serve the cause of promoting inter-disciplinary academic-cum-research based distinguishable and superb advanced instructions coupled with set of knowledge and skills such as Disaster Management, Urban Planning and Design, Genome Studies, Human Values and Ethics, Nano Science and Technology, Pharmaceutical Studies, etc. Other Centres may be created as per the requirement of the University.

1. Definitions:

(a) "Centre of Excellence" shall have the separate academic-cum-research identity akin to University Schools in the specified discipline/ branch of academic discipline/ inter-disciplines wherein the University can impart high class and notable instructions and carry out frontier research in its relevant branch or interwoven academic-cum-research subject.

(b) 'Director' shall be a position in the Professors rank/ pay scale and he/ she would be the Head of the Centre of Excellence.

(c) 'Faculty' of each Centre shall comprise of Professor/s, Associate Professor/s and Assistant Professor/s as is the case in the University Schools of Studies. The Faculty for the Centre could either be recruited or may be drawn from the University Schools of Studies. Faulty members drawn from the University Schools of Studies may have dual membership, i.e. one, for the School to which it belongs, and another for the concerned Centre.

(d) 'Adjunct Faculty' of the Centre of Excellence shall denote that faculty which is appointed from among the renowned corporate, administrators and researchers of the leading national/ international organizations/ institutions of world repute ; however, they would carry the designations of 'Adjunct Professors', 'Adjunct Associate Professors' and 'Adjunct Assistant Professors' but shall enjoy the same pay and allowances as is the case of Professors, Associate Professors and Assistant Professors in the case of University Schools of Studies.

(e) I 'Steering Committee' of the Centre of Excellence would denote the same meaning as that of a Board of School of Studies as defined in the Sub Clause (a) of Clause 2 of University's Ordinance 2 ; the composition shall, however, be as given hereunder :

(i) Director of the Centre of Excellence;

(ii) Professors/ Adjunct Professors in the Centre of Excellence, 03 Associate Professors/ Adjunct Associate Professors by rotation according to seniority, 02 Assistant Professors/ Adjunct Assistant Professors by rotation according to seniority amongst the Assistant Professors appointed in the Centre, respectively ; and,

(iii) 05 Eminent Members nominated by the Vice Chancellor for their special knowledge in any subject assigned to the Centre or in any allied/ inter-disciplinary branch of studies.

II All members of the Steering Committee, other than Ex-Officio Members, shall hold office for a term of 02 years. The term of tenure shall commence from the date they may be nominated. Members can be considered for re-nomination.

(f) 'Centre Research and Consultancy Committee' of a Centre would broadly denote the same meaning as that of SRC as defined in Sub Clause (xvii) of Clause 1 of Ordinance 12 excepting that it would additionally take care of consultancy related issues. Accordingly, it will consist of the Director of the concerned Centre of Excellence, 03 Professors/ Adjunct Professors of the concerned Centre of Excellence by rotation in order of seniority (for one year), 01 Associate Professor/ Adjunct Associate Professor and 01 Assistant Professor/ Adjunct Assistant Professor by rotation in order of seniority (for one year) and the proposed Supervisor/s, or the Approved Supervisor/s and the Faculty/ies likely to be involved in the sponsored consultancy project, if applicable. If the Director so desires may also include in this Committee an eminent academician/s who might be concerned with the subject of the research/ providing necessary director so that the proposed research/

consultancy could really be frontier and innovative and may constitute a piece of research/ set of recommendations for filling up an important gap that may be found in the existing literature on teh subject at a national/ global level.

(g) 'Faculty Council' of any Centre of Excellence shall be comprised of Director, all Professors (including all Adjunct Professors), all Associate Professors (including al Adjunct Associate Professors) and all Assistant Professors (including all Adjunct Assistant Professors)

2. Functions of the Centre

(a) Each Centre of Excellence shall undertake all such functions which are of dynamic in nature and performing of the same shall directly product visible results as may be beneficial to the humanity at large ; and, these functions shall be identified on the basis of inputs gathered from the faculties of the different University Schools, Industry and Research Scholars and the resultant outputs may either lead to knowledge. Creation or could be utilized by the Schools for strengthening their teaching programmes and by the Industry for enhancing their technical & managerial competencies.

(b) Each Centre of Excellence shall undertake or promote frontier/ distinguishable research in the subject/ discipline which may fill up the existing gap of literature on the subject in the research at national/ international level; this research could either be taken by the faculty of Centre of Excellence or by its students or in collaboration with corporate, administrative and research organizations of national and international repute. Each Centre of Excellence shall, however, have the flexibility in matter of accepting research projects to be funded by external agencies. Based on the findings of the research conducted, the Centre can also develop and start focussed academic programme/s, which could be of an inter-disciplinary nature that may increase the employability and promote industry interaction. As a matter of fact, these programmes are expected to be highly innovative and as per the need of the Next Orbit or is / are likely to act as 'Change Agent' both at national & Global levels.

(c) Each Centre shall undertake/ promote consultancy in the areas which are niche areas of the Centre for the benefit of the corporate/ administrative/ state/ community/ the nation at large.

3. Functions of the Steering Committee

(a) The General Powers and Functions of the Steering Committee shall broadly be the same as laid down in Sub Clause ('c') of the Clause 2 of the University's Ordinance : 2 for the Board of Studies of an University School.

(b) Besides, it will have the following specific powers and functions:

(I) It will prepare the 'strategic plans' for each successive period of 05 years aside lying down the necessary objectives, targets and courses of actions for implementing the each successive plan of the concerned Centre ; this Plan shall cover both the assigned/ chosen / developed over the period as pivotal academic, research and extension fields.

(II) It will also act as an 'Innovation Centre' in the assigned / developed areas of academic-cum-research-cum extension activity in order to assist, maintain and depict its excellence over the period of time.

(i) It will operate within a consciously framed 'financial strategy' so that, over a period of time, it is enabled to conduct its activities on a self-financing mode.

4. Powers and Functions of the Centre Research and Consultancy Committee

(a) The primary function of the Centre Research and Consultancy Committee shall be to perform the same functions as described for a "SRC" in the University's Ordinance – 12 in so far as the conduct of research by a Student/ Fellow/ Research Scholar is concerned.

(b) It will have meetings at frequent intervals to carry out necessary brainstorming sessions for the identification of innovative subjects on which the research and consultancy could be carried out.

(c) It will formulate the necessary Schemes of Scholarships for the benefit of perspective Research Scholars/ Fellows as also the identification of 'Capability Areas of the Centre' in which the consultancy projects could be attracted and carried out for the purposes of necessary revenue generation on the one hand, and for strengthening the Research and Development activities of the University, on the other.

5. Functions of the Faculty Council

(a) The academic functions of the Faculty Council of the Centre of Excellence shall be to assist the Director in the preparation of the Strategic Plans for the Centre and their timely implementation.

(b) It can also deliberate upon the issues that may be suggested by any faculty of the Centre or is/ are placed for discussion by the Director of the Centre.

(c) It will further carry out any function that may be specifically assigned by the Vice-Chancellor of the University

6. Powers of the Director

The Directors of the Centre of Excellence shall have the same responsibilities and authorities, including financial delegations, as that of a Dean of a University School of Study.

7. Meetings

(a) The Faculty Council shall have atleast quarterly meetings and the notice for a meeting shall ordinarily be issued atleast 10 days before the day fixed for the meeting

(b) The Steering Committee shall have a minimum of 02 meetings in one academic session and the notice for the meeting of this Committee shall ordinarily be issued atleast 15 days before the day fixed for the meeting.

(c) The meeting of the Centre Research Committee shall be held as per the requirement of the concerned Centre but it must meet atleast twice in an year with a prior notice, which shall ordinarily be issued atleast 10 days before the day fixed for the meeting.

Note : However, an emergent meeting/s of the Faculty Committee, Steering Committee and Centre Research Committee can be called on a shorter notice for a prior approval from the Vice-Chancellor of the University.

8. Quorum

The quorum for the meetings of Faculty Committee, Steering Committee and Centre Research and Consultancy Committee shall be 1/3 of its total number.

9. Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by this Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor shall take a decision. However, he may obtain the opinion/ advice of a Committee consisting of any or all the Deans of the Schools. The decision of the Vice Chancellor shall be final.

The Ordinance 35 relating to 'Centres of Excellence' shall come into force w.e.f. the date of approval of the Board of Management, i.e., 29.11.2011.

सं. एफ. आईपीवी/जेआर(सी)/बीओएम-48/2011/531.—अधिसूचना संख्या एफ 2 **(29)/साधा**/आईपीयू/एडीआरपी/2009/36 दिनांक 08/01/2010 का अधिक्रमण करते हुए गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्रबन्धमंडल ने कार्यसूची मदसंख्या 48•06 के अनुसार दिनांक 29/11/2011 को हुई अपनी 48 वीं बैठक में अध्यादेश–12 : विद्यावाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी) हेतु अभिशासित कार्यक्रम, के परिशोधन को संलग्न विवरणों के अनुसार स्वीकृत कर दिया है ।

परिशोधित अध्यादेश –12, प्रबंधमंडल द्वारा की गई स्वीकृति तिथि अर्थात् 29/11/2011 **से प्रभावी** हो जाएगा ।

अध्यादेश 12:– विद्या वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफ) उपाधि हेतु शासा कार्यक्रम ।

प्रयोजनीयता : यह अध्यादेश, विद्या वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफ) उपाधि के लिए सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा ।

1•0 परिभाषाएँ:–

1•1 "अनुमोदित महाविद्यालय/संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदत एवं शोधकार्य कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित उच्चतर शिक्षा की कोई संस्था है ।

1•2 "अनुमोदित **शोधकेन्द्र**/संस्थान" का तात्पर्य डॉक्टरेट/ पोस्ट डॉक्टरेट शोधकार्य प्रस्तावित करने वाले एवं शोधकार्य कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय के अनुमोदित शोधकेन्द्र संस्थान होंगे ।

1•3 "बीओएस" का तात्पर्य संबंधित विश्वविद्यालय की पाठ्यसमिति से है ।

1•4 "महाविद्यालय/संस्थान" का तात्पर्य ऐसी अकादमिक संस्था से है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अपने **विशेषाधिकारों** का उपयोग करते हुए अनुरक्षित अथवा स्वीकृत किया गया हो तथा इसमें सम्बद्ध **महाविद्यालय**/संस्थान भी सम्मिलित हों ।

1•5 "केयरटेकर **पर्यवेक्षक**" का तात्पर्य शिक्षण स्टाफ का कोई ऐसा सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक के रूप में अभ्यर्थी के शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के पहले और / अथवा बाद में पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में की जाएगी ।

1•6 "सी ओ ई" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक है ।

1•7 "उपाधि" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलॉसॅफी–पीएचडी) की उपाधि से है ।

1•8 "शोधछात्र/शोधार्थी" का तात्पर्य पी एच डी के लिए पंजीकृत तथा इस उपाधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त समय समर्पित कर रहे व्यक्ति से है ।

1•9 "संयुक्त पर्यवेक्षक" का तात्पर्य पर्यवेक्षक के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ/अन्य बाह्य स्टॉफ और शोधार्थी के शोधकार्य को मार्गदर्शित करने/पर्यवेक्षण करने के लिए विद्यालय शोध समिति की अनुशंसा पर पाठ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कोई ऐसा सदस्य होगा जो उपकुलपति द्वारा विधिवत् स्वीकृत होगा ।

1•10 "न्यूनतम पंजीकरण अवधि" का तात्पर्य शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की वह न्यूनतम अवधि है जिसके लिए अभ्यर्थी को पंजीकृत होना चाहिए ।

1•11 "पीएचडी" का तात्पर्य विद्यावाचस्पति (दर्शनशास्त्र की डॉक्टर) उपाधि से है ।

1•12 "आर डी सी" का तात्पर्य उस शोध उपाधि समिति से है जिसमें अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक के अतिरिक्त कुलपति, संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक एवं कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाल विश्वविद्यालय के दो आचार्य (प्रोफेसर) सम्मिलित होंगे / समिति के अध्यक्ष कुलपति ही होंगे ।

1•13 "पंजीकरण अवधि" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से प्रारंभ लेकर किन्हीं भी अंतराल अवधियों को गणना में शामिल करते हुए शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि से है ।

1•14 "पर्यवेक्षक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ/अन्य मान्यताप्राप्त/ बाह्य स्टॉफ के किसी भी ऐसे सदस्य से है जिसे शोधार्थी के शोधकार्य को मार्गदर्शित करने / पर्यवेक्षण के लिए विद्यालय शोधसमिति की सिफारिश पर पाठ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त हो और जो कुलपति द्वारा विधिवत् स्वीकृत हो ।

1•15 "एआरसी" का अर्थ है कोई ऐसी विद्यालय शोध समिति जिसमें अध्यक्ष के रूप में सम्बंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष, वरिष्ठता क्रम के आवर्तन से संबंधित विद्यालय के तीन आचार्य (प्रोफेसर) (एक वर्ष के लिए), वरिष्ठता क्रम के आवर्तन से एक सह आचार्य तथा एक सहायक आचार्य वरिष्ठता क्रम के आवर्तन से (एक वर्ष के लिए) सम्मिलित होंगे । प्रस्तावित पर्यवेक्षक एवं वर्तमान पर्यवेक्षक आमंत्रित सदस्य होंगे । सभी पर्यवेक्षकों को स्वीकृत होना चाहिए ।

विद्यालय में विशेषज्ञ शिक्षण प्रसार पर आधारित एक से अधिक विद्यालय शोध समितियाँ हो सकती हैं । यदि, विद्यालय में एक से अधिक शोध समितियाँ हैं तो इन्हें अध्यक्ष के रूप में, विद्यालय संकायाध्यक्ष (अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति) के परामर्श से कुलपति द्वारा गठित किया जाएगा । पर्यवेक्षक तथा शेष सदस्य, विश्वद्यिालय/अनुमोदित शोध केन्द्रों/संबद्ध महाविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों में से एवं बाहरी विशेषज्ञों में से इस प्रकार से सम्मिलित किए जाऐंगे कि कम से कम दो सदस्य सामान्यतः विद्यालय की सभी शोध समितियों में समान रूप से सम्मिलित रहें ।

1•16 "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य गुरू गोबिन्द सिंह विश्वविद्यालय से है ।

1•17 "डीआरसी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के निदेशक शोध एवं परामर्शिका से है ।

1•18 "विदेशी शोधछात्र/शोधार्थी" का अभिप्राय उन विदेशी नागरिकों से है जो पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं और इस उपाधि से जुड़ी सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं ।

टिप्पणीः–इस अध्यादेश में जहाँ कहीं भी 'वह' और 'उसका' उल्लेख है इनका अर्थ क्रमशः 'वह' और 'उसका'/'उसकी' रूपों में लगाया जाएगा ।

2•0 विश्वविद्यालय, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करने हेतु अध्ययन एवं शोध उपलब्ध कराएगा ।

ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय–विद्यालयों के माध्यम से संचालित होंगे ।

अकादमिक परिषद् के मार्गदर्शक एवं संबद्ध विद्यालय के नियंत्रण के अध्यधीन पीएचडी के लिए शोध कार्य का आयोजन सम्बन्धित विद्यालय की पाठ्य समिति द्वारा किया जायेगा ।

3•0 किसी भी शोध छात्र को अपना शोध कार्य अनुमोदित पर्यवेक्षक(ों) के मार्गदर्शन में जारी रखना होगा । विश्वविद्यालय विद्यालयों/संबद्ध संस्थाओं/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध केन्द्रों में एसआरसी/बीओएस द्वारा विनिर्दिष्ट एवं मूल पाठ्यक्रम सभी यूएसएस/संबद्ध संस्थाओं / स्वीकृत शोध केन्द्रों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाएँगे । यदि संबद्ध महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के अनुमोदित शोध केन्द्र अपने परिसरों में पाठ्यक्रम आयोजित नहीं कर पाते तो छात्रों को विश्वविद्यालय के संबंधित विद्यालय में पाठ्यक्रम कार्य पूरा करना होगा । विद्यालय शोध समिति की सिफारिश पर संबंधित विद्यालय की पाठ्य समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अपने कार्य स्थल में शोध छात्र को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकती है बशर्ते कि एसआरसी एवं बीओएस की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप वहाँ पर शोध सुविधाएँ उपलब्ध हों । इन सुविधाओं के अभाव में छात्र को विश्वविद्यालय में ही कार्य करना होगा ।

4•0 प्रवेश पात्रता

4•1 निम्नलिखित में से कोई भी योग्यताधारी आवेदक विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ।

4•1•1 भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / विज्ञान / वास्तुशिल्प / मानविकी / सामाजिक विज्ञान /वाणिज्य / चिकित्सा/ विधि / शिक्षा/ फार्मेसी / प्रबंधन / जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ / ए आई सी टी ई / यू जी सी / एम सी आई / बार काउंसिल / फार्मेसी काउंसिल आदि द्वारा अनुमोदित उपाधि अथवा संबद्ध क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् की संतुष्टि के अनुरूप समानक योग्यता जो विश्वविद्यालय की समानक समिति द्वारा विधिवत् अनुमोदित हो और कुल प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम न हों ।

4•1•2 अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त आवेदक जिन्होंने या तो कुल 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा न्यूनतम तीन वर्ष का, अथवा जिसने कुल 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों और न्यूनतम 15 वर्षों का संगत अनुभव मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय/उद्योग / सरकारी संगठन में प्राप्त किया हो, को विद्यालय शोध समिति की सिफारिश पर प्रवेश के लिए पात्र मान लिया जाएगा ।

4•1•3 ऐसे एमबीबीएस उपाधिधारी आवेदक, जिन्होंने योग में या तो 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों अथवा न्यूनतम तीन वर्ष का, अथवा योग में 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों एंव किसी सरकारी अस्पताल/मान्यता प्राप्त संगठन में 15 वर्ष का संबंधित अनुभव प्राप्त किया हो, विद्यालय शोध समिति की सिफारिश पर प्रवेश हेतु पात्र माने जा सकते हैं ।

4•1•4 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति श्रेणी और/या शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए उपखण्ड 4•1•1, 4•1•2 एंव 4•1•3 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी ।

4•1•5 किसी भी विश्वविद्यालय अथवा **इससे सम्बद्ध** महाविद्यालयों में कार्यरत तथा कम **से कम** तीन वर्षों का अध्यापन/शोध/अन्य संगत अनुभव रखने वाले शिक्षकों को उपखंड **4•1•1** के अंतर्गत 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी ।

शर्त यह भी है कि उपखंड **4•1•4** एवं **4•1•5** के अंतर्गत निर्धारित दोनों छूटों में से आवेदक के लिए केवल एक छूट ही अनुमत होगी ।

4•1•6 भावी शोधकर्त्ता ने पीएचडी हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सामान्यतः 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए । तथापि 50 वर्ष से अधिक आयु हो जाने पर निर्धारित आयु में छूट एसआरसी/बी ओ एस द्वारा संस्तुत की जाएगी तथा कुलपति के अनुमोदनार्थ उपयुक्त औचित्य का अभिलेखन किया जाएगा ।

4•1•7 (i) विदेशी नागरिकों के अतिरिक्त अन्य सभी नागरिकों को आरएटी परीक्षा देनी होगी । आरएटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने और कुलपति द्वारा गठित सम्बंधित, एसआरसी /

बीओएस में से चयनित कम से कम **पाँच सदस्यों वाली एक** उपसमिति द्वारा लिए गए **साक्षात्कार** में चयनित हो जाने पर ही आवेदकों का अस्थायी पंजीकरण हो सकेगा तथा इस पंजीकरण की पुष्टि प्रक्रिया कार्य की संतोषजनक पूर्ति हो जाने के बाद तथा क्रमशः एसआरसी/बीओएस के समक्ष प्रस्तुति आधार पर शोध योजना की स्वीकृति मिल जाने के बाद होगी ।

(ii) शोध छात्रों का पंजीकरण पूर्ण कालिक/अंशकालिक (केवल नियोजित अभ्यर्थी हेतु) शोध छात्रों की श्रेणी में होगा ।

टिप्पणीः– आवासी– अपेक्षा की न्यूनतम अवधि 12 मास होगी ।

(iii) विदेशी नागरिकताधारी आवेदकों के शोध छात्रों के रूप में पंजीकरण किए जाने पर भी विचार किया जा सकेगा लेकिन शर्त है किः

(क) अभ्यर्थी, विनियमों में दर्शित निर्धारित आवेदन शुल्क सहित निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मामले को (वर्ष में एक बार) पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करेगा । आवदेन पत्र के साथ संलग्ल प्रमाण पत्रों, पारपत्र एवं सारिक की अनुदित एवं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिएँ।

(ख) विदेशी नागरिकों को पीएचडी कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से छूट मिलेगी ।

(ग) विदेशी नागरिकों के आवेदन, उनके आवेदन पत्रों के साथ संलग्न उनके सारिक के आधार पर ही स्वीकृत होंगे । यदि सारिक, संबंधित विद्यालय द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

(घ) अभ्यर्थी का साक्षात्कार कुलपति द्वारा गठित सम्बंधित एसआरसी/बीओएस में से चयनित कम से कम पाँच सदस्यों वाली एक उपसमिति द्वारा किया जाएगा और उनके पंजीकरण की पुष्टि, निर्धारित प्रक्रिया कार्य की संतोषजनक पूर्ति हो जाने के उपरांत तथा क्रमानुसार एसआरसी/बीओएस के समक्ष प्रस्तुति के आधार पर शोध योजना की स्वीकृति मिल जाने के बाद ही होगी ।

(ड़) पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर चुके सभी विदेशी नागरिकों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया कार्य पूर्ण करने होंगे ।

5 अस्थायी पंजीकरण :–

5•1 विश्वविद्यालय, आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष में दो बार पीएचडी प्रवेशार्थ विज्ञापन देगा ।

5•2 पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र डॉक्टरेट शोध पत्र हेतु अंतरिम विषय सहित एक निर्धारित प्रपत्र में डी आर सी कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

5•3 खंड 4 में उल्लिखित पात्रता–मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों को आरएटी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा (विदेशी नागरिकों के अतिरिक्त सभी के लिए अनिवार्य) । चयन के लिए कुलपति द्वारा गठित सम्बंधित एसआरसी/पाठ्यसमिति में से चुने हुए कम से कम पाँच सदस्यों की उपसमिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित उपयुक्त संस्तुतियाँ सम्बंधित विद्यालय को दी जाएँगी ।

5•4 यदि पूर्वोक्त उपसमिति द्वारा अभ्यर्थी का चयन हो जाता है और एसआरसी/बीओएस द्वारा अनुमादित हो जाता है, तो विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क भुगतान करने की तिथि से, संबंधित विद्यालय द्वारा विनिहित अनुमोदित पर्यवेक्षक सहित, विद्यार्थी का अस्थायी पंजीकरण हो जाएगा ।

6 शोधयोजना

6•1 प्रत्येक विद्यार्थी को जिसके पास अस्थाई पंजीकरण है, अपेक्षित पाठ्यक्रम की सफल सम्पूर्ति के पश्चात् विद्यालय शोध समिति (एसआरसी) के समक्ष अपनी शोध योजना का प्रस्तुतीकरण करना अपेक्षित होगा और विद्यालय शोध समिति प्रस्तावित शोध जारी रखने के लिए शोध के व्यापक क्षेत्र के उसके अवबोधन, अकादमिक तैयारी तथा संभाव्यता का परीक्षण करेगी ।

6•2 शोध योजना तथा प्रस्तुतीकरण की विषय वस्तु के आधार पर विद्यालय शोध समिति, या तो पाठ्य समिति के विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु मामले की अनुशंसा करेगी अथवा छात्र को शोध योजना के नवीन प्रस्तुतीकरण हेतु कहेगी ।

6•3 किसी भी छात्र को विद्यालय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए सामान्यतः केवल दो प्रयास अनुमत होंगे । यदि किसी शोधार्थी की शोध–योजना इस खंड डमें निर्धारित परिसीमाओं के भीतर अनुमत न हो तो अस्थाई पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा । तृतीय प्रयास केवल पाठ्य समिति की अनुशंसा पर कुलपति के अनुमोदन से ही अनुमत किया जाएगा ।

6•4 किसी भी शोध छात्र/अभ्यर्थी को अपने प्रारम्भिक पंजीकरण से 24 माह के भीतर ही अपनी शोध योजना अनुमोदित करानी होगी । अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।

7•0 अभ्यर्थी के रूप में पंजीकरणः–

7•1 किसी भी शोध छात्र की शोध योजना तथा पर्यवेक्षक(ों) के नामों के अनुमोदन के पश्चात् मामला विद्यालय शोध समिति द्वारा पाठ्यसमिति को उसके विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

यदि पाठ्य समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता तो ऐसा शोधछात्र/अभ्यर्थी एक नवीन/आशोधित शोध योजना प्रस्तुत करने के लिए कुलपति द्वारा विधिवत् स्वीकृत, वैध कारणों पर आधारित नवीन अनुमोदन हेतु विद्यालय शोध समिति के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करेगा ।

7•2 पाठ्य समिति की स्वीकृति के बाद कोई भी शोधार्थी औपचारिक रूप से, अभ्यर्थी के रूप में पाठ्य समिति के द्वारा स्वीकृत की गई तारीख से, अथवा किसी ऐसी तारीख से जो पाठ्य समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो, पंजीकृत हो जाएगा ।

7•3 किसी भी शोधार्थी को प्रत्येक वर्ष निर्धारित ढंग से अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाना तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित शुल्क जमा करवाना अपेक्षित होगा ।

8•0 शोध प्रबंध पर्यवेक्षक:–

8•1 प्रत्येक अभ्यर्थी का विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक पर्यवेक्षक होगा जैसा कि खंड 8•2 में उपबंधित किया गया है । संयुक्त पर्यवेक्षक, शोध विद्यालय समिति द्वारा संस्तुत की जाने वाली केवल विशेष परिस्थितियों में ही बनाया जा सकेगा । ये विशेष परिस्थितयाँ होंगी जैसे कि बहु/अंतरविषय (इन्टर डिसीपलीनरी) संबंधित शोधकार्य, सेवानिवृत्ति/अवकाश पर जाने वाले पर्यवेक्षक इत्यादि ।

8•2(i) विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित अध्यापक या विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय में कार्यरत कोई भी ऐसा मान्य अध्यापक जिसके पास पीएचडी उपाधि/एमडी उपाधि/ एमएस उपाधि तथा (पीएचडी प्राप्त करने के उपरांत) कम से कम तीन वर्ष का, अथवा पाँच वर्ष का (एमडी/ एमएस उपाधि प्राप्त करने के बाद) अध्यापन/शोध का अनुभव हैं, पर्यवेक्षक या संयुक्त पर्यवेक्षक बनने के लिए पात्र होगा । अध्यापक (पीएचडी उपाधि धारक) का प्रमाणित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कम से कम आठ प्रकाशित शोधलेखों अथवा दस शोधलेख (एमएस/एमडी धारकों हेतु) की गणना एफ एडीसी में प्रस्तावित रूप में होनी है, सहित शोधकार्य का उल्लेखनीय प्रतिष्ठित उल्लेख हो और वह प्रतिष्ठित शोध कार्यकलापों/परामर्शात्मक कार्यों/प्रौद्योगिकी उन्नति से लगातार जुड़ा हुआ हो तथा उसे पंजीकृत पेटेन्टों का श्रेय जाता हो ।

(ii) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की सम्बंधित पाठ्य समिति या इसके अनुमोदित शोध केन्द्र या किसी अन्य विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्योग या शोधकार्यक्रम संचालित करने वाले अन्य ख्याति प्राप्त सुस्थापित उद्योग या संस्थाओं द्वारा विधिवत् अनुमोदित कोई अन्य शोधकर्त्ता एक पर्यवेक्षक या एक संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य होगा बशर्ते उसके पास पीएचडी की उपाधि हो और उल्लेखनीय राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कम से कम आठ शोधलेखों जिन्हें एफएडीएस में प्रस्तावित रूप में जाना जाए, सहित शोध का प्रतिष्ठित अभिलेख उच्चकोटि की उल्लेखनीय पत्रिकाओं में प्रकाशन प्रदर्शित होता हो और बहु प्रदर्शित शोध कार्यकलापों/परामर्शात्मक कार्यों व प्रौद्योगिकी उन्नति से लगातार जुड़ा हुआ हो, उसे अपने पंजीकृत पेटेन्टों का श्रेय जाता हो । इस प्रकार के पीएचडी पर्यवेक्षकों से संबंधित, पाठ्य समिति के निर्णय, कुलपति द्वारा अनुमोदित किए जाने होते हैं ।

(iii) सभी शोधार्थियों को तदनन्तर विश्वविद्यालय विद्यालयों/संबद्ध महाविद्यालयों/अनुमोदित शोध केन्द्रों के ऐसे पर्यवेक्षकों/संयुक्त पर्यवेक्षक(ों) से संबंध साधने चाहिएँ जो स्थायी स्टाफ सदस्य हों और जो अभ्यर्थी का पर्यवेक्षण करने के इच्छुक हों । वे संबंद्ध विद्यालय संकायाध्यक्ष को ऐसे नामों से अवगत कराएँगें । यह अवश्य ही सुनिश्चित कर लिया जाए कि पर्यवेक्षकों की संगठन में लम्बी सेवा हो और पीएचडी अभ्यर्थी/कार्यक्रम के पर्यवेक्षण की स्थिति में वह तीन वर्ष के भीतर सेवानिवृत नहीं होंगे ।

(iv) विद्यालय शोध समिति (एसआरसी) की संस्तुति के आधार पर पाठ्य समिति, पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक के नामों पर विचार करेगी तथा यदि वह इसे अनुमोदित करती है तो कुलपति से अनुमोदन उपरान्त नियुक्त किए जाएंगे । यदि, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित नाम स्वीकृत नहीं हो पाते तो शोधार्थी से अन्य नाम सुझाने के लिए कहा जाएगा अथवा संकायाध्यक्ष द्वारा बताई गयी अपवादात्मक परिस्थितियों में, शोधार्थी और पर्यवेक्षक की सहमति और कुलपति के अनुमोदन से कोई अन्य नाम सुझाने के लिए कहा जा सकता है ।

(v) अपने शोध कार्य के दौरान कोई भी शोधार्थी संबद्ध विद्यालय शोध समिति (एसआरसी)/पाठ्य समिति को पर्यवेक्षक–परिवर्तन हेतु अनुरोध कर सकता है । अति विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत एसआरसी/बीओएस, पर्यवेक्षक(ों) के परिवर्तन के लिए अनुमोदन हेतु कुलपति को संस्तुत कर सकते हैं ।

(vi) किसी भी समय, किसी आचार्य (प्रोफेसर) के पास 8 से अधिक पीएचडी अभ्यर्थी, सह आचार्य (ऐसोसिएट प्रोफेसर) के अधीन 6 से अधिक अभ्यर्थी, और सहायक आचार्य (असिस्टैन्ट प्रोफेसर) के अधीन 4 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत नहीं होंगे/तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ शिक्षक सेवानिवृत हो रहे हैं अथवा छोड़कर । अवकाश पर जा रहे हैं, वहाँ विद्यालय शोध समिति तथा पाठ्य समिति मानदण्डों को शिथिल कर सकती हैं । इसके साथ– साथ प्रत्येक अनुमोदित पर्यवेक्षक के पास किसी भी निश्चित अवधि में अधिकतम एक ही विदेशी शोधार्थी होगा । विद्यालय शोध समिति, पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर सकती है जो, उस विद्यालय की पाठ्य समिति को भी सूचित किया जायेगा । संयुक्त पंजीकरण (एक से अधिक पर्यवेक्षक के अधीन पंजीकरण) को आधा गिना जायेगा । किसी भी संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी निश्चित अवधि में शोधार्थियों की संख्या अधिकतम बारह से अधिक नहीं होगी । उक्त (ii) में उल्लिखित पर्यवेक्षक के लिए शोधकर्त्ताओं की संख्या विद्यालय शोध समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी तथा कुलपति द्वारा अनुमोदित की जायेगी ।

(vii) किसी विशिष्ट शोधकर्त्ता को पी एच डी की उपाधि प्रदान कर दी गई है इस आशय की अंतिम अधिसूचना परीक्षा नियत्रंक द्वारा जारी किए जाने के बाद अथवा शोधग्रंथ प्रस्तुति की तिथि से छः मास की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, से किसी पर्यवेक्षक के अंतर्गत कोई स्थान खाली मान लिया जाएगा ।

(viii) ऐसे मामलों में, जहाँ पर्यवेक्षक के पास सेवानिवृत्ति से पहले तीन वर्ष बचे हैं, वहाँ एक संयुक्त पर्यवेक्षक अनिवार्य होगा ।

(ix) जिस व्यक्ति के पास पीएचडी उपाधि/एमडीउपाधि/एमएस उपाधि नहीं है वह पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(x) विश्वविद्यालय–विद्यालय उल्लेखनीय राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सूची तैयार करेंगे जिससे शोधकर्त्ताओं तथा संकाय सदस्यों/पर्यवेक्षकों/संयुक्त पर्यवेक्षकों को सुगमता/सुविधा हो सके ।

दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय के संबंधित विनियमों में निर्धारित किए गए हैं ।

9•0 क्रेडिट अपेक्षा व निष्पादन अनुवेक्षण–

9•1 पी एच डी उपाधि के लिए अस्थायी रूप से पंजीकृत शोधार्थियों को न्यूनतम नौ क्रेडिटों के बराबर तीन पाठ्यक्रम लेने अपेक्षित होंगे ; तथापि सम्बंधित विद्यालय शोध समिति/पाठ्य समिति की संस्तुतियों के अनुसार अठारह क्रेडिटों के बराबर पाठ्यक्रमों की अधिकतम संख्या छः

तक हो सकती है । प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु प्रति सप्ताह तीन घंटे का अध्ययन/अनुदेश होगा।पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में विद्यमान एमटेक/अथवा प्री–पीएचडी पाठ्यक्रम में से निर्धारित किए जा सकेंगे । पाठ्यक्रम कार्य दो सैमेस्टर की अवधि में ही पूरा किया जाना चाहिए, जो अस्थायी पंजीकरण की तिथि से एक शैक्षिक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । विश्वविद्यालय, परीक्षा का आयोजन करेगा । यदि कोई शोधार्थी पाठ्यक्रम को 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण करने में सफल नहीं रहता है तो विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की वर्तमान परीक्षा नियमावली के अनुसार बारह माह के भीतर परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति होगी । शोधार्थियों को ऐसे, पाठ्यक्रम चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जातना चाहिए जैसे कि "सम्प्रेषण कौशल", "शोध पद्धति", शोध/प्रायोगिक आंकड़ों के विश्लेषण करने की साँख्यिकीय पद्धतियाँ " एवं " विज्ञान का तत्व ज्ञान" (दर्शन) इत्यादि । पीएचडी शोधार्थियों को विश्वविद्यालय के अन्य विद्यालयों द्वारा कराए जा रहे सम्बंधित तथा सहायक विषयों के पाठ्यक्रम चुनने की भी अनुमति दी जा सकेगी । शोधार्थियों का प्रत्येक सैमेस्टर के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा ।

9•2 शोधार्थी को उसके शोध हित के आधार पर, सामान्यतः दो सैमेस्टर तक विश्वविद्यालय से अनुपस्थित रहने के लिए, पर्यवेक्षक (ों) की संस्तुति के आधार पर विद्यालय शोध समिति द्वारा अनुमत किया जा सकेगा ।

9•3 शोधार्थियों को कुछ अकाद्मिक कार्य, जैसे कि विज्ञान प्रयोगों के अध्यापन में सहायता करना, नियत कार्यों की जाँच इत्यादि में सहायता करना, ; ये कार्य उनकी अध्येयतावृत्ति (फैलोशिफ) योजना के आधार पर होंगे अथवा विद्यालय शोध समिति के निर्णयानुसार होंगे । ये कार्य सप्ताह में छः घंटों से अधिक के नहीं होने चाहिएँ । जो, किसी भी प्रकार की अध्ययेतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय में समय–समय पर यथा लागू शर्तों के अधीन मानकों/नियमों के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा ।

9•4 रूग्णता, प्रसूति अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण, शोधकार्य से अनुपस्थिति सूचना संकाय अध्यक्ष । विद्यालय अध्यक्ष के माध्यम से पर्यवेक्षक (ों) द्वारा विद्यालय शोध समिति को अवश्य दी जानी चाहिए । शोधकार्य की अवहेलना (उपेक्षा) या अनुशासन–हीनता के कोई भी कृत्य आवश्यक रूप से अभिलेखबद्ध किए जाएगें और सम्बंधित विद्यालय शोध समिति तथा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्यवेक्षक द्वारा संकायाध्यक्ष को सूचित किए जायेंगे ।

9•5 प्रत्येक शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक को दिन–प्रतिदिन आधार पर रिपोर्ट करेगा । शोधकार्य के प्रति अवहेलना या अनुशासन हीनता के प्रकरण, जिनमें साहित्यिक चोरी, आंकड़ों का मिथ्या प्रदर्शन और अनियमिततता सम्मिलित हैं जैसे अनैतिक कार्य विद्यालय शोध समिति, पाठ्य समिति तथा कुलपति के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किए जाने के लिए पर्यवेक्षक द्वारा संकायाध्यक्ष को अवश्य सूचित किये जाएँ ।

9•6 अध्येयता वृत्ति/छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी पीएचडी शोधार्थी अपनी अध्ययन–अवधि के दौरान कोई भी नौकरी आदि नहीं करेगा । यदि कोई शोधार्थी अपनी अध्येयता वृत्ति अवधि के बीच किसी भी रोज़गार के लिए चुन लिया जाता है और वह कार्य ग्रहण कर लेता है तो वह अध्येयता वृत्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं रहेगा/रहेगी । तथापि उसे अपनी पीएचडी पूरी करने की अनुमति होगी बशर्ते कि उसने पाठ्यक्रम कार्य पहले ही पूरा कर लिया हो ।

9•7 कोई भी शोधार्थी पर्यवेक्षक(ों) तथा विद्यालय शोध समिति की अनुमति के बिना किसी ऐसे अन्य अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा जिसे विद्यालय द्वारा पीएचडी कार्यक्रम के लिए अनिवार्यता/आवश्यकता के रूप में निर्धारित नहीं किया गया हो ।

9•8 अध्येयता वृत्ति/छात्र वृत्तिधारी कोई भी शोधार्थी पर्यवेक्षक(ों) तथा संकाय–अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना विश्वविद्यालय या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में भाग नहीं लेगा ।

9•9 प्रत्येक शोधार्थी की अकादमिक शोध प्रगति का, विद्यालय शोध समिति/पाठ्य समिति या इसकी उपसमितियों द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक शोधार्थी को प्रत्येक छःमाही अंतराल में अपने पर्यवेक्षकों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा । प्रगति रिपोर्ट मिलने के बाद पर्यवेक्षक, वैयक्तिक शोधार्थी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु विद्यालय शोध समिति के साथ समीक्षा के लिए संकायाध्यक्ष को भेजेगी । यदि प्रगति संतोषजनक है तो उस सैमेस्टर के दौरान 'x' ग्रेड प्रदान किया जाएगा । यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है तब 'u' ग्रेड प्रदान किया जाएगा और उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी । 'u' ग्रेड प्राप्त करने के कारण अभ्यर्थी को चेतावनी भी दी जाएगी । यदि निरंतर दो 'u' ग्रेड प्राप्त किए जाते हैं तो पंजीकरण रद्द/समाप्त किया जा सकेगा ।

9•10 प्रत्येक शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत विद्यालय शोध समिति निम्नलिखित में से कोई एक अनुशंसा करेगी :

(i) पंजीकरण जारी रखना ।

(ii) पंजीकरण जारी रखना तथा शोधार्थी को चेतावनी जारी करना तथा पर्यवेक्षक(ों) की सलाह से उसके कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की अनुशंसा करना ।

(iii) पंजीकरण की समाप्ति–यदि किसी शोधार्थी को चेतावनी जारी की जाती है तो शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाने के लिए शोधार्थी को अनुमत न्यूनतम पंजीकरण अवधि, प्रत्येक बार चेतावनी जारी किए जाने पर, एक सैमेस्टर बढ़ा दी जाएगी ।

10 पंजीकरण अवधि अपेक्षाएँ:–

10•1 पंजीकरण की न्यूनतम अवधि, जिसके पश्चात् शोधार्थी के रूप में शोधार्थी अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत कर सकता है, अंतिम पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष होगी । खण्ड (9•2) में यथा उपबन्धितानुसार इस अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है ।

10•2 किसी भी शोध विद्यार्थी को अपना शोध ग्रंथ जमा कराने के लिए सामान्यतः अंतिम पंजीकरण के बाद अधिकतम चार वर्ष की अवधि अनुमत होगी । तथापि, अपवादात्मक मामलों में इस समय–सीमा को कुलपति द्वारा अधिकतम दो वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है ।

11 शोध प्रबंध जमा कराने से पहले का प्रस्तुतीकरण:–

11•1 शोधार्थी द्वारा विद्यालय शोध समिति के समक्ष एक पूर्व– शोधप्रबंध प्रस्तुतीकरण–प्रतिपादन एक अनिवार्य अपेक्षा है । शोधकार्य पूर्ण हो जाने पर शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक(ों) के माध्यम से ग्रंथ सूची सहित अपने शोधकार्य के सारांश की आठ प्रतियाँ विद्यालय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा संकाय सदस्य तथा अन्य शोध छात्रों की उपस्थिति में एक प्रस्तुतीकरण भी देगा जिसमें सम्बद्ध विद्यालय के संकाय सदस्य और अन्य शोध विद्यार्थी भी उपस्थित होंगे ।

11•2 शोधार्थी द्वारा, अपने पूर्व–शोध प्रबंध प्रस्तुतीकरण, उपस्थापन की तिथि से तीन माह के भीतर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा । तथापि, यदि कोई शोधार्थी निर्धारित

समयावधि में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके पास इसके लिए उपयुक्त औचित्य भी है तो विद्यालय के संकाय अध्यक्ष, विद्यालय शोध समिति की अनुशंसा पर अधिकतम तीन माह का समय और बढ़ा सकते हैं अर्थात् शोधार्थी को पूर्व शोध प्रबंध प्रस्तुतीकरण उपस्थापन की तिथि से अधिकतम छः माह की अवधि के भीतर ही अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा ।

11•3 शोधार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वयं से एवं पर्यवेक्षक से विधिवत् हस्ताक्षरित तथा संकाय अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा कि " ..... " शीर्षक वाले शोध प्रबंध में सन्निहित कार्य मौलिक है तथा यह लेखक द्वारा ही निष्पादित किया गया है । इसे पूर्णतः या अंशतः, इस या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य डिप्लोमा या उपाधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

12 परीक्षकों की नियुक्तिः–

12•1(i) पर्यवेक्षक(ों) द्वारा शोधकार्य के विषय क्षेत्र में कम से कम छः विशेषज्ञों, जिनमें से अधिमानतः दो विशेषज्ञ भारत के बाहर से होंगे, का एक पैनल सुझाया जाएगा तथा विद्यालय शोध समिति के समक्ष इसकी अनुशंसाओं के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । विद्यालय शोध समिति, पर्यवेक्षक(ों) द्वारा प्रस्तावित नामों में से किसी भी नाम(ों) को हटा सकती है तथा /अथवा नए नाम जोड़ सकती है ।

12•1(ii) उन प्रयोगशाला(ओं) / संस्था(ओं), जहाँ शोधार्थी नियोजित है, से किसी भी व्यक्ति को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, उन प्रयोगशाला / संस्था / अनुमोदित शोध केन्द्र, जहाँ शोधार्थी के पर्यवेक्षक तथा / अथवा संयुक्त पर्यवेक्षक कार्यरत हैं, से भी किसी व्यक्ति को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

12•2 शोध प्रबंध का शीर्षक तथा रूपरेखा प्राप्त हो जाने पर, संकायाध्यक्ष, विद्यालय शोध समिति द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षकों का पैनल परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा और कुलपति, शोधप्रबंध के लिए परीक्षक मण्डल नियुक्त करेंगे । इस परीक्षक मंडल में पर्यवेक्षक(ों) में से एक आंतरिक परीक्षक तथा दो बाह्य परीक्षक सम्मिलित होंगे जिनमें से एक परीक्षक अधिमानतः भारत से बाहर का होगा । परीक्षकों का चयन सामान्यतः विद्यालय शोध समिति द्वारा अनुशंसित परीक्षकों के पैनल में से किया जाएगा । यदि आवश्यक हो तो कुलपति, पैनल में कोई अन्य नाम भी जोड़ सकते हैं ।

12•3 यदि इस प्रकार नियुक्त एक या अधिक परीक्षक, शोध प्रबंध का परीक्षण करने से मना कर दें तो पैनल में से किसी अन्य परीक्षक को नियुक्त किया जाएगा । यदि पैनल निःशेष हो जाए तो विद्यालय शोध समिति अतिरिक्त नामों की अनुशंसा करेगी ।

13 शोध प्रबंध प्रस्तुतीकरण

13•1 शोधप्रबंध, शोधकार्य का एक अंश होगा जिसकी विशिष्टता नए तथ्यों की खोज या नए सिद्धांत(ों) का प्रतिपादन या ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या होगी । यह शोधकार्य, शोधार्थी की विश्लेषण, निर्णयकरने की क्षमता के साथ–साथ स्वतंत्र जाँच, अभिकल्पन या विकास करने की योग्यता का भी साक्षी होना चाहिए । किसी भी शोध प्रबंध को, यदि आवश्यक हो तो, प्रकाशित कार्य (रचनाओं) द्वारा अनुपूरित किया जा सकता है । शोध प्रबंध या अनुपूरक प्रकाशित कार्य (रचना) का कोई भी भाग किसी अन्य डिप्लोमा या उपाधि प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ नहीं होना चाहिए ।

13•2 शोध प्रबंध अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा अथवा अत्यधिक विशेष मामले के रूप में, विद्यालय शोध समिति एवं कुलपति से विधिवत् अनुमति लेकर इन विनियमों में निहित अनुदेशों के विनिर्दिष्ट प्रारूप में, हिन्दी में भी लिखा जा सकता है ।

13•3 कोई भी शोधार्थी इस अध्यादेश के खण्ड (10•0) में यथा–निर्धारित समयावधि के भीतर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते कि उसने:

(i) खण्ड 10•0 में यथा उपबन्धित न्यूनतम पंजीकरण अवधि पूर्ण कर ली हो ।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय संदर्भित पत्रिकाओं (जर्नल्स) में कम से कम दो शोधपत्र प्रकाशित किए हों । तथापि, जहाँ भी ऐसा करना सम्भव न हो पाया हो तो संदर्भित राष्ट्रीय पत्रिकाओं में दो शोधपत्र प्रकाशित करने के अतिरिक्ति, इस बात को भी कि इस शोध प्रबंध को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित दो शोध पत्रों के अभाव में क्यों स्वीकार कर लिया ज़ाए, न्यायोचित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कारणों सहित विद्यालय शोध समिति की जानकारी में लाया जाना चाहिए ? साथ ही, यह औचित्य विश्वविद्यालय के कुलपति तथा विद्यालय शोध समिति दोनों ही को स्वीकार्य भी होना चाहिए ।

13•4 रिकॉर्ड हेतु, शोध प्रबंध को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक प्रति सहित, सॉफ्ट बाइडिंग वाली तीन प्रतियाँ मूल्यांकन हेतु परीक्षा नियत्रंक को प्रस्तुत की जाएँगी । एक से अधिक पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किए जाने वाले शोधार्थी के मामले में, समुचित संख्या में अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँगी । शोधार्थी विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विनियम के संलग्नक– xvi के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा ।

14 मूल्यांकन:–

14•1 शोध प्रबंध का मूल्यांकन:–

(i) शोध प्रबंध प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र/प्रॉफार्मा में एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करने का प्रत्येक परीक्षक से अनुरोध किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी परीक्षक से मूल्यांकन रिर्पोट चार माह के भीतर प्राप्त नहीं होती तो कुलपति शोध प्रबंध का मूल्याकंन करने के लिए परीक्षकों के पैनल से किसी अन्य परीक्षक की नियुक्ति करेगें ।

(iii) परीक्षकों को विशिष्ट रूप से यह उल्लेख करना अपेक्षित होगा कि क्या उनकी निजी राय में शोध प्रबंध को ;

(क) पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए स्वीकार कर लिया जाए, अथवा

(ख) संशोधित प्रारूप में प्रतिपादित प्रस्तुतीकरण हेतु शोधार्थी को भेजा जाना चाहिए अथवा

(ग) अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए ।

परीक्षक, शोध प्रबंध के स्वीकृत किए जाने पुनः प्रस्तुतीकरण / अस्वीकार किए जाने के कारणों का उल्लेख करेंगे । यदि, पुनः प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा की गई हो, तो परीक्षक, शोधार्थी द्वारा शोध प्रबंध में किए जाने वाले आवश्यक आशोधनों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेंगे ।

(iv) सभी परीक्षकों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन्हें शोध उपधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । शोध उपाधि समिति रिपोर्टो का अनुशीलन करेगी तथा निम्न में से कोई एक सलाह देगी:

(क) यदि, परीक्षक एकमत हैं कि उपाधि प्रदान करने के लिए शोध प्रबन्ध स्वीकार कर लिया जाए, तो शोधार्थी की, मौखिक पक्ष–प्रस्तुति (डिफेन्स) हेतु उपस्थिति, अपेक्षित होगी ।

(ख) यदि, परीक्षक एकमत हैं कि शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत कर दिया जाए अथवा शोध प्रबंध को संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए तो परिणाम तदनुसार ही घोषित किया जाएगा, अथवा शोधार्थी को शोध प्रबंध संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा ।

(ग) यदि, परीक्षकों के बीच कोई सर्वसम्मति नहीं बनती है तो उस शोध प्रबन्ध को जाँचने के लिए किसी अतिरिक्त बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति परीक्षक के रूप में की जा सकती है । सभी पूर्ववर्ती रिपोर्टो के साथ अतिरिक्त परीक्षक की रिपार्ट पर शोध उपाधि समति द्वारा विचार किया जाएगा तथा उपाधि प्रदान किए जाने के लिये शोध प्रबन्ध को स्वीकार किए जाने अथवा अस्वीकार किए जाने हेतु अनुशंसा की जाएगी ।

(v) यदि शोधार्थी द्वारा संशोधित शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो तो वह, परीक्षा नियंत्रक से इस सम्बन्ध में संसूचना प्राप्त होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा /करेगी/तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में यह अवधि पाठ्य समिति द्वारा एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है किन्तु यह अवधि कुल दो वर्षों से अधिक के लिए नहीं बढाई जा सकेगी । संशोधित शोध प्रबंध मूल्याँकन हेतु परीक्षकों के मूल पैनल को भेज दिया जाएगा । एक या अधिक या मूल बाह्य परीक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में एक अतिरिक्त बाह्य परीक्षक नियुक्त कर लिया जायेगा ।

14•2 मौखिक पक्ष–प्रस्तुती (ओरल डिफैन्स)

(i) शोधार्थी, जिसका शोध प्रबंध, उपखण्ड 14•1 (iv) के प्रावधानों के अनुसार शोध प्रबंध मूल्यांकन के आधार पर, स्वीकृति हेतु अनुशंसित कर दिया गया हो, एक विधिवत् गठित समिति, जिसे इसके पश्चात् 'मौखिक पक्ष प्रस्तुति समिति' (ओडी सी) के रूप में उल्लिखित किया जायेगा, के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय की कार्य समय अवधि में अपने रचना कार्य/शोध प्रबंध की 'मौखिक पक्ष–प्रस्तुती' करनी अपेक्षित होगी । इसमे किसी भी प्रकार की विसामान्यता की स्थिति में कुलपति की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी ।

(ii) मौखिक पक्ष–प्रस्तुती समिति में संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा बाह्य परीक्षकों में से नियुक्त किए जाने वाला एक बाह्य परीक्षक तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित होंगे । यदि, मौखिक पक्ष प्रस्तुती संचालन हेतु कोई भी बाह्य परीक्षक उपलब्ध नहीं होता तो केवल इसी प्रयोजनार्थ वैकल्पिक बाह्य परीक्षक कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा । मौखिक पक्ष–प्रस्तुती हेतु आमंत्रित बाह्य परीक्षक निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे ।

(iii) परीक्षा के सभी चरण पूरे कर लिए जाने के बाद शोध उपाधि समिति को परीक्षा नियंत्रक निम्न में से किसी एक का अनुमोदन करने के लिए अनुशंसा करेंगे :

(क) कि उपाधि प्रदान कर दी जाये,

(ख) कि शोधार्थी की कुल समयोपरान्त किसी भी विनिर्दिष्ट ढंग से विनिर्दिष्ट समय पर पुनः परीक्षा ली जाए,

(ग) कि उपाधि प्रदान की ही न जाए ।

14•2 (iii) के मामले में संकायाध्यक्ष के परामर्श से परीक्षा नियंत्रक, शोधार्थी को शोध प्रबंध में अपेक्षित सुधारों तथा आशोधनों की सूची भी उपलब्ध करायेंगे जिसमें शोध प्रबंध मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा दिए गये सुझाव भी सम्मिलित होंगे । तत्पश्चात् शोधार्थी सभी आवश्यक संशोधनों/परिष्करणों को सम्मिलित करते हुए शोध प्रबंध की सजिल्द दो प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

15•0 उपाधि प्रदान किया जाना

15•1 विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी बशर्ते कि :

(i) शोध उपधि समिति ऐसा अनुमोदन करे,

(ii) शोधार्थी, विश्वविद्यालय के संबंधित विनियमानुसार निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक –xvi) मे एक अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे,

(iii) शोधार्थी ने शोध–प्रबंध की सजिल्द दो प्रतियाँ प्रस्तुत कर दी हों । इनमें से एक विद्यालय पुस्तकालय के लिये और दूसरी केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये । इनमें सभी आवश्यक संशोधन/ परिष्करण सम्मिलित होने चाहियें ।

15•2 मौखिक पक्ष प्रस्तुती परीक्षा के बाद प्रस्तुत किए गए विद्या वाचस्पति (पी एच डी) शोध प्रबंध की सजिल्द प्रतियों तथा सीडी एम में, शोध–प्रबन्ध के प्रारम्भ में बायीं ओर एक पृथक पृष्ठ पर, निम्नलिखित प्रकाशनाधिकार प्रमाण पत्र सन्निहित होना चाहिए:–

गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका परिसर, दिल्ली–110075

सर्वाधिकार सुरक्षित

16•0 अवकाश एवं उपस्थिति

16•1 कोई भी शोधार्थी, अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर बनाये गये तथा संशोधित किये गये अवकाश नियमों/उपस्थिति नियमों के अनुसार अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

17 पंजीकरण का रद्द किया जाना

17•1 किसी भी शोधार्थी का पंजीकरण निम्न में से किसी भी एक परिस्थिति में कुलपति के उपयुक्त अनुमोदन के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा:–

(i) यदि वह अवकाश की पूर्वसूचना/स्वीकृति के बिना निरंतर छः सप्ताह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ।

(ii) यदि वह पीएचडी कार्यक्रम त्याग देता है और इस प्रकार उसके त्यागने/त्यागपत्र को विद्यालय शोध समिति विधिवत् रूप से अनुशंसित कर देती है ।

(iii) यदि वह इन अध्यादेशों/विनियमों में निहित उपबंधों के अध्ययीन किसी भी वर्ष में शुल्क भुगतान/पाठ्यक्रम कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने/प्रगति विवरणों का संतोषजनक रूप से अनुवीक्षण करने में असफल रहने के कारण अपने पंजीकरण का नवीकरण कराने में असमर्थ/असफल रहता है ।

(iv) यदि उसकी शैक्षिक प्रगति इस अध्यादेश के खंड–9 के अनुसार असंतोषजनक पायी जाती है ।

(v) यदि वह किसी कदाचार तथा /अथवा अनुशासनहीनता के कृत्य में सम्मिलित पाया जाता है तथा उसके पंजीकरण समाप्ति की अनुशंसा विद्यालय शोध समिति या अकादमिक परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कर दी जाती है ।

18•0 इन अध्यादेशों में निहित किसी बात के होते हुए भी शोधार्थियों की सभी श्रेणियाँ, अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर इसके लिये बनाये गये तथा प्रवृत्त नियमों तथा क्रिया विधियों द्वारा शासित होंगी ।

19•0 इस अध्यादेश में घोषित किसी भी बात के होते हुए भी उत्पन्न किन्हीं अप्रत्याशित उन मुद्दों के लिए जो इस अध्यादेश में सम्मिलित नहीं हैं, अथवा व्याख्या में किन्हीं मतभेदों की स्थिति में हैं, कुलपति यदि आवश्यक हो तो विद्यालयों के किसी एक या सभी संकायाध्यक्षों वाली समिति की राय/सलाह प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लेंगे /कुलपति का निर्णय अंतिम होगा ।

20 गुरूगोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की वाचस्पति (डॉक्टरल) एवं वाचस्पति–उत्तर (पोस्ट डॉक्टरल) अध्येयता वृत्ति (फैलोशिप) ।

वाचस्पति (डॉक्टर) एवं वाचस्पति उत्तर (पोस्ट डॉक्टरल) अध्येयता–वृत्ति हेतु पारिश्रमिक/अध्येयता–वृत्ति राशि समय–समय पर जारी गुरूगोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय शोध अध्येयता वृत्ति नियमों के अनुरूप होगी ।

डॉ. भास्कर पी. जोशी, कुलसचिव/प्रबंध मंडल के सचिव

No. F. IPV/JR(C)/BOM-48/2011/531.—In pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (9 of 1998), the Board of Management of the University in its 48th meeting held on 29.11.2011 vide agenda item No.48.06 has approved for revision of Ordinance – 12 : Governing programmes leading to Doctor of Philosophy in supersession of Notification No.F.2(29)/Ord/IPU/ADRP/2009/36 dated 08.01.2010 as per details enclosed.

The revised Ordinance 12 shall come into force w.e.f. the date of approval of the Board of Management, i.e., 29.11.2011.

ORDINANCE 12 : "GOVERNING PROGRAMMES LEADING TO DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY"

APPLICABILITY: This Ordinance shall apply to all programmes leading to the degree of Doctor of Philosophy.

1.0 DEFINITIONS

1.1 **"Affiliated Colleges/ Institution"** shall mean an institution of higher learning affiliated by the University and approved for carrying out the research work.

1.2 **"Approved Research Centre/Institute"** shall mean an Approved Research Centre/Institute of the University offering Doctoral/Post Doctoral research work and approved for carrying out the research work.

1.3 **"BOS"** shall mean the Board of Studies of the School concerned.

1.4 **"College/Institute"** shall mean an academic institution maintained or admitted by the University to its privileges and includes an affiliated college/institute.

1.5 **"Caretaker Supervisor"** shall mean a member of the academic staff appointed to act as the candidate's supervisor in the absence of the Supervisor before and/or after submission of the thesis.

1.6 **"COE"** shall mean Controller of Examinations of the University.

1.7 **"Degree"** shall mean the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of the University.

1.8 **"Research Scholar"** shall mean a person registered for the Ph.D and devoting adequate time for completing the requirements of this degree.

1.9 **"Joint Supervisor"** shall mean a member of the academic staff of the University/other outside staff, other than the Supervisor, and approved by BOS on the recommendation of the SRC to guide/supervise the research work of the scholar and duly approved by Vice Chancellor.

1.10 **"Minimum Registration Period"** shall mean the minimum period for which a candidate must be registered, prior to the date of submission of the thesis.

1.11 **"Ph.D."** shall mean the degree of Doctor of Philosophy.

1.12 **"RDC"** shall mean Research Degree Committee, and shall consist of Vice-Chancellor, Dean of the concerned School, Controller of Examinations, and two Professors of the University other than the Supervisor/Joint Supervisor of the candidate to be nominated by the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Committee.

1.13 **"Registration Period"** shall mean the length of period commencing with the date of preliminary registration at the University and ending on the date of submission of the thesis, counting out any gaps.

1.14 **"Supervisor"** shall mean a member of the academic staff of the University/other recognized/ outside staff approved by BOS on the recommendation of SRC to guide/supervise the research work of the scholar and duly approved by Vice Chancellor.

1.15 **"SRC"** shall mean a School Research Committee consisting of Dean of the concerned School as Chairman, three Professors of the concerned School by rotation in order of seniority (for one year), one Associate Professor and one Assistant

Professor by rotation in order of seniority (for one year). Proposed Supervisor(s) and existing Supervisor(s) may be invited members. All must be approved supervisor(s).

The School may have more than one SRC depending upon the spread of specialization. In case, the School has more than one SRC, the same shall be constituted by the Vice Chancellor in consultation with the Dean of the school (or his nominee) as Chairman, Supervisor(s) and remaining members from amongst senior teachers of the University/ Approved Research centers/ Affiliated colleges/ External experts in such a manner so that at least two members are common in all the SRC of the school.

1.16 **"University"** shall mean Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi.

1.17 **"DRC"** shall mean Director of Research & Consultancy of the University.

1.18 **"Foreign Research Scholar"** shall mean Foreign Nationals registered for the Ph.D and devoting adequate time for completing the requirements of this degree.

Note: In this Ordinance where-ever 'He' and 'His' occurs, these shall mean to imply 'he/she' and 'his/her' respectively.

2.0 The University shall provide for studies and research leading to award of degree of Doctor of Philosophy.

The programmes shall be conducted through the Schools of the University.

Subject to the guidance of the Academic Council and control of the concerned School, research studies for Ph.D. shall be organized by the Board of Studies of the concerned School.

3.0 A Research Scholar shall be required to pursue his research work under the guidance of approved supervisor(s). The core courses has to be conducted by the University for all the USS/ Affiliated Institutions/ Approved Research Centre(s) and the Directed Course Work specified by the SRC/BOS at the University Schools /affiliated institutions/ University Approved Research Centers. If the Affiliated Colleges/ University Approved Research Centers cannot conduct course work at their premises, students shall be required to complete the course work at the concerned University Schools. On the recommendation of the SRC, BOS may permit the research scholar to work at his place of employment provided adequate research facilities are available there upto the entire satisfaction of SRC and BOS. In the absence of such facilities the student will have to work at the University.

4.0 ADMISSION ELIGIBILITY

4.1 An applicant possessing any one of the following qualifications shall be eligible to

apply for admission to a Ph.D. programme of the University.

4.1.1 A Master's degree in Engineering/ Technology/ Science/Architecture/ Humanities/ Social Sciences/Commerce/Medicine/ Law/Education/ Pharmacy/ Management/ Mass Communication of a recognized Indian University, or a post graduate degree approved by Association of Indian Universities/AICTE/ UGC/ MCI/ Bar Council/ Pharmacy Council etc., or any other equivalent qualification to the satisfaction of Academic Council of the University duly approved by equivalence committee of the University, in the relevant field, with not less than 60% marks in aggregate.

4.1.2 Applicants with a Bachelor's degree in Engineering/Technology with either 75% or more marks in aggregate and a minimum of three years, or 60% or more marks in aggregate and a minimum of fifteen years, relevant experiences in recognized Institute/ University/ Industry/ Government Organization, may be considered eligible for admission, on the recommendation of SRC.

4.1.3 **Applicants with MBBS Degree with either 65% or more marks in aggregate and a minimum of three years or 50% or more marks in aggregate and a minimum of 15 years relevant experience in Recognized Govt. Hospital/ Organization may be considered eligible for admission on the recommendation of SRC.**

4.1.4 For applicants belonging to SC/ST category and/or physically handicapped applicants, a relaxation of 5% in marks shall be admissible under eligibility conditions prescribed under sub-clauses 4.1.1, 4.1.2 & 4.1.3.

4.1.5 Teachers working in any University or its affiliated colleges and having a teaching/research/other relevant experience of not less than 3 years may be allowed a relaxation of 5% marks under clause 4.1.1.

Provided that out of the two relaxations stipulated under clauses 4.1.4 and 4.1.5, only one relaxation is permissible for an applicant

4.1.6 Perspective Research Candidate generally shall not have completed an age of 50 years at the time of submission of application for registration for Ph.D. A relaxation in the prescribed age beyond 50 years can, however, be recommended by the SRC/BOS recording appropriate justification for the

approval by the Vice-Chancellor.

4.1.7 (i) All the applicants shall have to appear for RAT examination except Foreign Nationals. Candidates may be provisionally registered if they are selected through the RAT entrance test followed by an interview by a sub-committee comprising of atleast 5 members to be chosen from the concerned SRC/BOS, constituted by the Vice- Chancellor and the registration shall be confirmed after satisfactory completion of the course work and approval of the research plan on the basis of its presentation before the respective SRC/BOS.

(ii) The Research Scholars shall be registered under the category of Full-Time/ Part-Time (for employed candidates only) Research Scholars.

Note: The minimum period of Residency requirement shall be twelve months.

(iii) Applicants of **Foreign Nationals** can also be considered for registration as Research Scholar provided :

a. The candidate shall apply for admission to the Ph.D Programme on a prescribed proforma to Director International Affairs (Once in a year) alongwith the prescribed application fee as given in regulations. Attached to the application shall be translated and attested copies of certificates, passport and Synopsis.

b. Foreign Nationals shall be exempted from the entrance test for Ph.D Programme.

c. The application of Foreign Nationals shall be accepted on the basis of their synopsis submitted with the application form. If the synopsis is not found suitable by the concerned school, the application shall be rejected.

d. Candidate should be interviewed by the concerned Sub- Committee, comprising of atleast 5 members to be chosen from the concerned SRC/BOS, constituted by the Vice-Chancellor and their registration shall be confirmed after satisfactory completion of the prescribed course work and approval of research plan on the basis

of its presentation by the respective SRC and BOS.

e. All Foreign Nationals admitted to the Ph.D Programme shall have to complete the course work offered by the University.

5. PROVISIONAL REGISTRATION

5.1 Depending upon the requirement, the University may advertise for Ph.D admission twice in a year.

5.2 Applications for joining the Ph.D. programme shall be submitted on a prescribed Form with a tentative topic for Doctoral Research in the DRC office.

5.3 The applicants who fulfill the eligibility criteria as laid down in clause 4 shall **appear for RAT entrance examination (Compulsory for all the applicants except Foreign Nationals) followed by an interview** by a Sub-Committee, comprising of at least 5 members chosen from the concerned SRC/BOS, Constituted by the Vice-Chancellor for selection and appropriate recommendations regarding such candidates to the concerned School.

5.4 If the candidate is selected by the aforesaid Sub-Committee and approved by SRC/BOS the scholar shall be allowed provisional registration from the date of payment of prescribed fees to the University with the allocated approved supervisor(s) by the respective school.

6.0 RESEARCH PLAN

6.1 Each scholar who has a provisional registration, **after the successful completion of the required course work** shall be required to make a presentation of his Research Plan before the SRC and **the SRC shall** test the comprehension of his broad field of research, academic preparation and potential to carry out the proposed research.

6.2 On the basis of the content of the Research Plan and the presentation, the SRC shall either recommend the case for consideration and approval of Registration to the concerned BOS, or, may ask the scholar to make a fresh presentation of the Research Plan.

6.3 A scholar will ordinarily be allowed only two attempts for presentation before the SRC. In case the Research Plan of a scholar is not approved within the limitations prescribed in this clause, the **provisional** registration **may** be cancelled. A third

attempt may be allowed only with the approval of the Vice-Chancellor on the recommendation of the BOS.

6.4 A research student/candidate must get his Research Plan approved within 24 months of his provisional registration, failing which the same may be cancelled.

7.0 REGISTRATION AS A CANDIDATE

7.1 After the approval of the Research Plan and the names of Supervisor(s) of a Research Scholar, the case shall be submitted by the SRC to the BOS for its consideration and approval within a maximum period of one month.

If an approval is not accorded by the BOS, then such a research student/candidate may submit his/her case for fresh approval on valid reasons duly approved by the Vice Chancellor, through the SRC, after presenting a fresh/modified Research Plan.

7.2 After the approval of the BOS, a Scholar shall be formally registered as a candidate with effect from the date on which the BOS accorded its approval, or, from any other date specified by the BOS.

7.3 A scholar shall be required to renew his Registration in the manner prescribed, every year, and pay the fees as prescribed by the University.

8.0 THESIS SUPERVISORS

8.1 Each scholar shall have a supervisor, duly approved by the University, as provided in clause-(b). Joint Supervisor(s) may only be made under special circumstances to be recommended by the SRC. Special circumstances such as multi/inter disciplinary research work, retiring/leaving supervisor etc.

8.2 (i) Any regular teacher of the University or a recognized teacher working in an affiliated college of the **University who holds a Ph.D degree/ MD Degree/ MS Degree** and has a teaching/research experience of not less than 3 years (after obtaining Ph.D) or 5 years (after obtaining MD/MS Degree) shall be eligible to be a supervisor or a joint supervisor in the respective University School of Studies. The teacher has to have established track record of research work with minimum of 08 published research articles (who holds Ph.D Degree) or 10 published research articles (who holds MS/MD Degree) to be counted as proposed in FADS in referred national/ international journals and is continuously involved in demonstrated research activities/ consultancy assignments/ technological advancement / carries to his /her

credit registered patents.

(ii) Any other scholar duly approved by the concerned BOS from GGS Indraprastha University or from its Approved Research Centre, another University, a public sector industry, or, other reputed established industry or institutions conducting research programmes shall also be eligible to be appointed either as a supervisor or a joint supervisor, provided he/she holds a Ph.D Degree and has established record of research evinced through publications in standard referred journals with a minimum of 08 published research articles to be counted as proposed in FADS in referred national/ international journals and is continuously involved in demonstrated research activities/consultancy assignments/ technological advancement/ carries to his/her credit registered patents. Decisions of BOS in approving such type of Ph.D. Supervisors are to be approved by the Vice chancellor.

(iii) All the Scholars should subsequently identify supervisor/and or joint supervisor from the University schools/ Affiliated Colleges/ Approved Research Centers (who must be a permanent staff member) who are willing to supervise the candidate and shall intimate the names to the concerned Dean of the School. It must be ensured that the supervisors have enough service in the organization and he/she will not attain superannuation within 3 years in the case of supervising Ph.D. candidate/ programme.

(iv) The BOS, on the recommendation of the SRC, shall consider the names of the Supervisor/Joint Supervisor, and if it approves the same, these shall be appointed after obtaining approval of the Vice-Chancellor. If the names proposed by the applicant are not approved, the scholar may be asked to suggest other names, or, in exceptional circumstances assigned by the Dean, with the concurrence of the scholar and the supervisor, and approval of the Vice-Chancellor.

(v) A research scholar may request during the course of his research work for the change of the supervisor(s) to the respective SRC/BOS. The SRC/BOS, under very special circumstances, may recommend for the change of supervisor(s) to the Vice Chancellor for approval.

(vi) At any given time, a Professor shall not have more than 8 Ph.D. candidates, an Associate Professor more than 6 candidates, and an Assistant Professor) more than 4 candidates registered under him, however, in such cases where teachers are retiring or leaving, the SRC and the BOS can relax the norm. In addition to that each

approved supervisor(s) may also have a maximum of one at any given time Foreign Research Scholar. The School Research Committee can also appoint Supervisor/Joint Supervisor which will be reported to the Board of Studies (BOS) of that School. Joint registration (registration under more than one supervisor) shall be counted as half. **At any given time the number of Research Scholars in an affiliated college will not exceed to a maximum of twelve in an institute.** For the Supervisors as mentioned in (ii) above, the number of research scholars shall be decided by the SRC and to be approved by the Vice Chancellor.

(vii) A seat shall deem to have been fallen vacant under any Supervisor only after the issuance of final notification by the Controller of Examination to the effect that a specific Research Scholar has been awarded the Ph.D. Degree **or 6 months from the date of submission of thesis whichever is earlier.**

(viii) In cases where the Supervisor has three or lesser number of years before retirement, a Joint Supervisor shall be mandatory.

(ix) A person who does not possess a Ph.D Degree/ **MD Degree/ MS Degree** shall not be eligible for appointment as Supervisor/Joint Supervisor.

(x) The University Schools shall prepare the list of refereed national / international journals to facilitate the research scholars and the faculty members/ Supervisors/ Joint Supervisors.

The guidelines are prescribed in the concerning Regulations of the University.

9.0 CREDIT REQUIREMENT & PERFORMANCE MONITORING

9.1 Scholars, who are provisionally registered for the Ph.D. Degree will be required to take three courses equivalent to a minimum 9 credits ; however, the maximum number could be upto six courses equivalent to 18 credits as per the recommendations by the concerned SRC/ BOS. Each course will be of three hours instructions/studies per week. The courses may be prescribed from the existing M. Tech and /or pre-PhD. courses at the university. The course work should be completed in a period of two semesters not exceeding one academic year from the date of the provisional registration and the University shall conduct the examination. If a scholar is not able to pass a course with 50% marks, the student shall be allowed to reappear in the examination within 12 months as per the existing examination rules of the University. Scholars should be encouraged to

take courses such as "Communication Skills", "Research Methodology", "Statistical methods for Analysis of Research/ Experimental Data", "Philosophy of Science" etc. Ph.D. scholars may be permitted to take courses in related and allied subjects being offered by other Schools of the University. The scholar shall be evaluated at the end of each semester.

9.2 The scholar may be permitted by the SRC, on the recommendation of the Supervisor(s), to be absent from university for ordinarily not more than 2 semesters on the ground that it is in the interest of her/his research.

9.3 Scholars be assigned participation in some academic work like assisting teaching of science practicals, checking assignments, etc. as per their fellowship scheme or as decided by the School Research Committee. This work should not be more than six hours a week. Those who are not getting any fellowship/scholarship may be paid as per the norms/rules on the subject as applicable from time to time in the University

9.4 Absence from research work by Ph.D. scholars due to illness, maternity leave or other circumstances must be reported by the Supervisor(s) to the SRC through the Dean/Head of the School. Neglect of research work or any other acts of indiscipline must be recorded and reported by the supervisor to the Dean for placing before the concerned SRC and to the Vice-Chancellor.

9.5 Every research scholar shall report on day to day basis to their respective supervisor. Cases of neglect of research work and indiscipline that include unethical practices such as plagiarism and misrepresentation of data and irregularity must be reported by the supervisor to the Dean for placing before the SRC, the BOS and the Vice-Chancellor for necessary action.

9.6 No Ph.D. scholar who is holding Fellowship / scholarship shall undertake an employment during the period of his / her study. In case any Research Scholar is selected and joins some employment in between the period of his/ her fellowship then he/she shall not remain eligible for availing the fellowship. However, he/she would be permitted to complete his Ph.D. provided he/she has already completed the course work.

9.7 No scholar shall, without the permission of the Supervisor(s) and the SRC enroll for any other course of study which is not stipulated as an essential requirement for the Ph.D. programme by the School.

9.8 No scholar with fellowship/scholarship shall appear in any examination conducted by the University or a public body without prior permission of the Supervisor(s) and the Dean.

9.9 The academic research progress of each scholar will be monitored by SRC/BOS or by its sub-committee. For this purpose, each scholar will be asked to submit a progress report in six monthly interval to his/her supervisor(s). On receipt of the progress report the supervisors shall send to Dean to review with SRC for presentation by the individual scholar. "X" grade to be awarded during that semester if the progress is satisfactory. If the progress is unsatisfactory, then "U" grade is awarded and appropriate action taken. For obtaining "U" grade, a warning would be issued to the candidate. If there are two consecutive "U" grades then the registration may be cancelled /terminated.

9.10 The SRC after having considered the progress report of each scholar shall recommend one of the following:

(i) Continuation of registration

(ii) Continuation of registration and issuance of a warning to the scholar and making recommendation in consultation with the supervisor(s), of steps necessary to improve his performance.

(iii) Termination of registration. If the scholar is issued a warning, the minimum registration period for allowing a scholar to submit the thesis shall be increased by one semester, every time a warning has been issued.

10.0 REGISTRATION PERIOD REQUIREMENTS

10.1 The minimum period of Registration after which a scholar can submit his thesis shall be two years from the date of final registration as a scholar. The period can be further increased as provided in clause 9(b).

10.2 A research scholar shall normally be allowed to submit his thesis within a maximum period of 4 years after final registration. However, in exceptional cases, this limit may be extended by the Vice-Chancellor by a maximum period of two years.

11.0 PRE-THESIS SUBMISSION PRESENTATION

11.1 A pre-thesis submission presentation by the scholar before the SRC is an

essential requirement. On completion of the research work, the scholar shall submit to the SRC through his supervisor(s), 8 copies of the Summary of his research work including bibliography and make a presentation at which faculty members and other research scholar(s) of the concerned school may be present.

11.2 The scholar shall be required to submit his thesis within three months from the date of pre-thesis submission presentation by the scholar. However, in case a scholar fails to submit his thesis within the stipulated time and has suitable justification for the same, the Dean of the School may, on recommendations of SRC grant an extension of not more than three months i.e., the scholar may be allowed to submit his thesis within a period not exceeding 6 months from the date of pre-thesis submission presentation.

11.3 The scholar will be required to submit a certificate duly signed by the Scholar, Supervisor(s) and counter signed by the Dean in the prescribed format that the work embodied in the thesis entitled "_____" is original and has been carried out by the author and that it has not been submitted in full or in part for any other Diploma or Degree of this or any other University.

12.0 APPOINTMENT OF EXAMINERS

12.1.1 A panel of at least six experts in the subject area of research work with preferably at least two experts from outside India would be suggested by the supervisor(s) and placed before the SRC for its recommendations. The SRC may delete any of the name(s) proposed by the supervisor(s) and/or add any names.

12.1.2 A person from the same laboratory(ies)/institutions where the scholar is employed cannot be appointed as an external examiner. Further a person from a laboratory/institution/ approved research centre to which the Supervisor and/or joint Supervisor of the scholar belongs, cannot be appointed as an external examiner.

12.2 On receipt of the title and synopsis of the thesis, the Dean shall send the panel of examiners as approved by the SRC to the COE and the Vice-Chancellor will appoint the Board of Examiners for the thesis. The Board shall consist of one internal examiner from amongst the supervisor(s), and two external examiners preferably one from outside India. The examiners may normally by chosen from the panel of examiners recommended by the SRC. **The Vice Chancellor may add any other name(s) in the panel, if necessary.**

12.3 In case one or more examiners so appointed decline to examine the thesis, another examiner shall be appointed out of the panel. In case the panel gets exhausted, SRC shall recommend additional names.

13.0 THESIS SUBMISSION

13.1 The thesis shall be a piece of research work characterized either by discovery of new facts or enunciation of a new theory or theories or by fresh interpretation of known facts. It should bear evidence of the scholar's capacity for analysis and judgment as well as his ability to carry out independent investigation, design or development. A thesis may be supplemented by published work if necessary. No part of the thesis or supplementary published work shall have been submitted for the award of any other diploma or degree.

13.2 The thesis shall be written in English or as a very very special case with due permission from the SRC and Vice Chancellor in Hindi in specified format in accordance with the Instructions contained in the regulations.

13.3 A scholar may submit his thesis within the time period as stipulated in Clause 10 of this Ordinance, provided he has:

(i) Completed the minimum period of registration as provided in Clause 10.

(ii) Has published minimum of 2 research papers in international (referred) journals. However, wherever it has been not possible to do so then, apart from publishing two research papers in referred national journals, this fact must be brought to the notice of SRC along with sufficient reasons to justify as to why the thesis should be accepted in the absence of two published research papers in international journals? And, this justification may be acceptable to both the SRC and the Vice-Chancellor of the University.

13.4 Three copies of the thesis in soft binding along with one copy on Electronic media for record must be submitted to the COE for evaluation. In case of a scholar being supervised by more than one supervisor, appropriate number of additional copies must be submitted. The scholar will also submit No Dues Certificate as per Annexure – XVI of the relevant regulation.

14. EVALUATION

14.1 Evaluation of Thesis

(i) Each examiner will be requested to submit to the COE, a detailed assessment report and his recommendations on a prescribed proforma within 3 months of the date of receiving the thesis.

(ii) In the event that the assessment report is not received from an examiner within 4 months, the Vice-Chancellor may appoint another examiner from the panel of examiners for evaluating the thesis.

(iii) The examiners shall be required to state categorically whether in their individual opinions, the thesis should be:

a) accepted for the award of Ph.D. degree, or

b) referred to the scholar for presentation in the revised form, or

c) rejected.

The examiner shall state the reasons for recommending resubmission/rejection of the thesis. If resubmission is recommended, the examiner shall specifically indicate the modifications that need to be made in the thesis by the scholar.

(iv) On receipt of reports from all the examiners, these will be placed before the Research Degree Committee. The RDC shall peruse the reports and advise one of the following:

a) If the examiners are unanimous that the thesis be accepted for award of the degree, the scholar be required to appear for oral defence.

b) If the examiners are unanimous that the thesis be rejected or that the thesis be submitted in a revised form the result be declared accordingly, or the scholar be informed to submit the thesis in a revised form.

c) If there is no unanimity between examiners, an additional external expert shall be appointed as examiner to examine the thesis. The report of the additional examiner, along with all the earlier reports shall be considered by the RDC, and a recommendation made either to accept the thesis for award of degree or reject the same.

(v) In the event of the scholar being required to submit a revised thesis, he/she shall, submit the same within a period of one year from date of communication in this regard from the COE. However, in exceptional circumstances this period may be extended by BOS by one more year but the total revision time

will not exceed two years. The revised thesis shall be sent for assessment to the original panel of examiners. In the event of one or more or original external examiners not being available, an additional external examiner may be appointed.

14.2 Oral Defence

(i) A scholar, whose thesis is recommended for acceptance in accordance with provision of clause 14.1(iv) on the basis of thesis evaluation, shall be required to defend his work/thesis orally before a duly constituted committee, hereinafter referred to as Oral Defence Committee (ODC), during working hours of the University at the University premises. Any deviation from this should have prior permission of Vice-Chancellor.

(ii) ODC shall consist of the Dean of the concerned School, the supervisor(s), and one external examiner to be appointed out of the external examiners by Vice-Chancellor. If none of the external examiners is available for the conduct of the oral defence, an alternative external examiner shall be appointed by Vice-Chancellor for this purpose only. The external examiner invited for oral examination shall submit his report in the prescribed proforma to the COE.

(iii) On the completion of all the stages of examination, COE shall recommend to **RDC** to approve one of the following:

(a) that the degree be awarded,

(b) that the scholar be re-examined at a later specified time in a specified manner,

(c) that the degree not be awarded,

In case of 14.2 (iii), the COE in consultation with Dean shall also provide to the scholar a list of all corrections and modifications required in the thesis, including suggestions made by the examiners during the thesis evaluation. The scholar shall thereafter submit two hard- bound copies of the thesis, incorporating all necessary corrections/ modifications.

15.0 AWARD OF DEGREE

15.1 The Degree shall be awarded by the University provided that:

i) RDC so approves,

ii) The scholar produces a "No Dues Certificate' in the prescribed form

(Annexure-XVI) of the relevant regulation.

iii) The scholar has submitted two hard bound copies of the thesis; one for the School Library and one for the Central Library. These should incorporate all necessary corrections/modifications.

15.2 Hard bound copies and CD ROM of the Ph.D. thesis, submitted after the oral defence examination, must contain the following copyright certificate in the beginning of the thesis, on a separate page on the left side:

Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka Campus , Delhi-110 075.

All rights reserved

16. 0 LEAVE AND ATTENDANCE

16.1 A scholar will be entitled to avail leave as per Leave Rules/Attendance Rules formulated and amended from time.to time by the Academic Council.

17.0 CANCELLATION OF REGISTRATION

17.1 Registration of a scholar shall be cancelled in any one of the following eventualities, after due approval of Vice-Chancellor:

(i) If he absents himself for a continuous period of six weeks without prior intimation/sanction of leave.

(ii) If he resigns from the Ph.D. programme and the resignation is duly recommended by SRC.

(iii) If he fails to renew his registration in terms of submission of fees/ successfully completion of course work/ satisfactory monitoring of progress reports in every year subject to the provisions contained in these Ordinances/ Regulations.

(iv) If his academic progress is found unsatisfactory in terms of Clause 9 of this Ordinance.

(v) If he is found to be involved in an act of misconduct and/or indiscipline and termination is recommended by the School Research Committee or any other authority authorized by the Academic Council.

18.0 Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all categories of scholar shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council on

this behalf, and in force from time to time.

19.0 Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, not covered by this Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice- Chancellor may take a decision, after obtaining if necessary the opinion/advice of a Committee consisting of any or all the Deans of the Schools. The decision of the Vice- Chancellor shall be final.

20. GGSIP University Doctoral & Post-Doctoral Fellowships.

◆ The remuneration/fellowship amount for Doctoral & Post-Doctoral fellowship would be as per **GGSIPU Research Fellowship regulations issued from time to time.**

The above revised Ordinance 12 shall come into force w.e.f. the date of approval of the Board of Management. i.e., 29th November' 2011.

Dr. B. P. JOSHI, Registrar/Secy. to Board of Management

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.